THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I

PRELIMINARY

SECTIONS

- 1. Short title.
- 2. Definitions.

PART II

ALLOCATION OF SEATS AND DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

The House of the People

- 3. Allocation of seats in the House of the People.
- 3A. [Repealed.].
- 4. Filling of seats in the House of the People and Parliamentary constituencies.
- 5. [*Omitted*.]
- 6. [*Omitted*.]

The State Legislative Assemblies

- 7. Total number of seats in Legislative Assemblies and Assembly constituencies.
- 7A. Total number of seats in the Legislative Assembly of Sikkim and Assembly constituencies.

The Delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies Order

- 8. Consolidation of delimitation orders.
- 8A. Delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies in the States of Arunachal Pardesh, Assam, Manipur or Nagaland.
- 9. Power of Election Commission to maintain Delimitation Order up-to-date.
- 9A. [Omitted.]
- 9B. [Omitted.]

The State Legislative Councils

- 10. Allocation of seats in the Legislative Councils.
- 11. Delimitation of Council constituencies.

Provisions as to orders delimiting constituencies

- 12. Power to alter or amend orders.
- 13. Procedure as to orders delimiting constituencies.

PART IIA

OFFICERS

- 13A. Chief electoral officers.
- 13AA. District election officers.

SECTIONS

- 13B. Electoral registration officers.
- 13C. Assistant electoral registration officers.
- 13CC. Chief Electoral Officers, District Election Officers, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.

PART IIB

ELECTORAL ROLLS FOR PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES

13D. Electoral rolls for Parliamentary constituencies.

PART III

ELECTORAL ROLLS FOR ASSEMBLY CONSTITUENCIES

- 14. Definitions.
- 15. Electoral roll for every constituency.
- 16. Disqualifications for registration in an electoral roll.
- 17. No person to be registered in more than one constituency.
- 18. No person to be registered more than once in any constituency.
- 19. Conditions of registration.
- 20. Meaning of "ordinarily resident".
- 20A. Special provisions for citizens of India residing outside India.
- 21. Preparation and revision of electoral rolls.
- 22. Correction of entries in electoral rolls.
- 23. Inclusion of names in electoral rolls.
- 24. Appeals.
- 25. Fee for applications and appeals.
- 25A. Conditions of registration as elector in Sangha constituency in Sikkim.

PART IV

ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES

- 26. [*Omitted*.]
- 27. Preparation of electoral rolls for Council Constituencies.

PART IVA

MANNER OF FILLING SEATS IN THE COUNCIL OF STATES TO BE FILLED BY REPRESENTATIVES OF UNION TERRITORIES

- 27A. Constitution of electoral colleges for the filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.
- 27B. [Omitted.]
- 27C. [*Omitted*.]
- 27D. [*Omitted*.]

SECTIONS

- 27E. [*Omitted*.]
- 27F. [Omitted.]
- 27G. Termination of membership of electoral college for certain disqualifications.
- 27H. Manner of filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.
- 27-I. [*Omitted*.]
- 27J. Powers of electoral colleges to elect notwithstanding vacancies therein.
- 27K. [Omitted.]

PART V

GENERAL

- 28. Power to make rules.
- 29. Staff of local authorities to be made available.
- 30. Jurisdiction of civil courts barred.
- 31. Making false declarations.
- 32. Breach of official duty in connection with the preparation, etc., of electoral rolls.
- THE FIRST SCHEDULE.—ALLOCATION OF SEATS IN THE HOUSE OF THE PEOPLE.
- THE SECOND SCHEDULE.—TOTAL NUMBER OF SEATS IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLIES.
- THE THIRD SCHEDULE.—ALLOCATION OF SEATS IN THE LEGISLATIVE COUNCILS.
- THE FOURTH SCHEDULE.—LOCAL AUTHORITIES FOR PURPOSES OF ELECTIONS TO LEGISLATIVE COUNCILS.

THE FIFTH SCHEDULE.—[Omitted.]

THE SIXTH SCHEDULE.—[Omitted.]

THE SEVENTH SCHEDULE.—[Omitted.]

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950

ACT NO. 43 OF 1950

[12th May, 1950.]

An Act to provide the allocation of seats in, and the delimitation of constituencies for the purpose of election to, the House of the People and the Legislatures of States, the qualifications of voters at such elections, the preparation of electoral rolls, ¹[the manner of filling seats in the Council of States to be filled by representatives of ²[Union territories]], and matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament as follows:—

PART I

PRELIMINARY

- 1. Short title.—This Act may be called the Representation of the People Act, 1950.
- 2. **Definitions.**—3*** In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "article" means an article of the Constitution:
- (b) "Assembly constituency" means a constituency provided ⁴[by law] for the purpose of elections to the Legislative Assembly of a State;
- (c) "Council constituency" means a constituency provided ⁵[by law] for the purpose of elections to the Legislative Council of a State;

6* * * *

- (d) "Election Commission" means the Election Commission appointed by the President under article 324;
 - (e) "order" means an order published in the Official Gazette;
- (f) "Parliamentary constituency" means a constituency provided ⁷[by law] for the purpose of elections to the House of the People;

8* * *

- (g) "person" does not include a body of persons;
- (h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- ⁹[(*i*) "State" includes a Union territory;]
- (j) "State Government", in relation to a Union territory, means the administrator thereof.

^{1.} Ins. by Act 73 of 1950, s. 2 (w.e.f. 23-12-1950).

^{2.} Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C States" (w.e.f. 1-11-1956).

^{3.} The brackets and figure "(1)" omitted by Act 103 of 1956, s. 65 (w.e.f. 1-1-1957).

^{4.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 2, for "by order made under section 9" (w.e.f. 1-3-1956).

^{5.} Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "by order made under section 11" (w.e.f.1-11-1956).

^{6.} Omitted by Act 103 of 1956, s. 65 (1-1-1957).

^{7.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 2, for "by section 6 or by order made thereunder" (1-3-1956).

^{8.} Omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and the Schedule (w.e.f. 21-1-1972).

^{9.} Subs. by s. 3 and the Schedule, *ibid.*, for clause (i) (w.e.f. 21-1-1972).

^{10.} Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).

PART II

ALLOCATION OF SEATS AND DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

The House of the People

- ¹[3. Allocation of seats in the House of the People.—The allocation of seats to the States in the House of the People and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of each State shall be as shown in the First Schedule.
- **3A.** Reservation of Seats in the House of People for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in certain Part C States.—[Rep. by the Representation of the People Amendment) Act, 1958 (58 of 1958), s. 3 (w.e.f. 30-12-1958).]]
 - 4. Filling of seats in the House of the People and parliamentary constituencies. -2***
- ³[(2) All the seats in the House of the People allotted to the States under section 3 shall be seats to be filled by persons chosen by direct election from parliamentary constituencies in the States.]
- (3) Every parliamentary constituency referred to in sub-section (2) shall be a single-member constituency.
- (4) Every State to which only one seat is allotted under section 3 shall form one parliamentary constituency.
- ⁴[(5) Save as provided in sub-section (4), the extent of all parliamentary constituencies except the parliamentary constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and the extent of the parliamentary constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as provided for in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 having regard to the provisions of sections 10A and 10B of the Delimitation Act, 2002.]]
- **5.** [Parliamentary constituencies.] Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 4.
- **6.** [Delimitation of parliamentary constituencies.] Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

The State Legislative Assemblies

⁵[7. Total number of seats in Legislative Assemblies and Assembly Constituencies.—(1) 6 [Subject to the provisions of 7 [sub-sections (1A), (1B) and (1C)], the total number of seats] in the Legislative Assembly of each State specified in the Second Schedule, to be filled by persons chosen by direct election from Assembly Constituencies, and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State, shall be as shown in that Schedule:

Provided that for the period referred to in clause (2) of article 371A, the total number of seats allotted to the Legislative Assembly of the State of Nagaland shall be ⁸[fifty-two], of which—

(a) ⁹[twelve seats] shall be allocated to the Tuensang district and shall be filled by persons chosen by the members of the regional council, referred to in that article, from amongst

^{1.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 2, for sections 3 and 4 (w.e.f. 14-12-1966).

^{2.} Omitted by Act 29 of 1975, s. 11 (w.e.f. 15-8-1975).

^{3.} Subs. by s. 11, *ibid.*, for sub-section (2) (w.e.f. 15-8-1975).

^{4.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 2, for sub-section (5) (w.e.f. 16-4-2008).

^{5.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 4, for sections 7, 8 and 9 (w.e.f. 14-12-1966).

^{6.} Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-9-1979).

^{7.} Subs. by Act 38 of 1992, s. 2, for "sub-sections (1A) and (1B)" (w.e.f. 5-12-1992).

^{8.} Subs. by Act 61 of 1968, s. 4, for "forty-six" (w.e.f. 31-12-1968).

^{9.} Subs. by s. 4, ibid., for "six seats" (w.e.f. 31-12-1968).

themselves in such manner as the Governor, after consulting that Council may, by notification in the Official Gazette, specify, and

- (b) the remaining forty seats shall be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies in the rest of the State.
- ¹[(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the total number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1980 (8 of 1980), to be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies shall be thirty-two, of which—
 - (a) twelve seats shall be reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin;
 - (b) two seats shall be reserved for the Scheduled Castes of that State; and
 - (c) one seat shall be reserved for the Sanghas referred to in section 25A.

Explanation.—In this sub-section "Bhutia" includes Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa and Yolmo.]

- ²[(1B) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Third Amendment) Act, 1987 (40 of 1987),—
 - (a) ³[fifty-nine seats] shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh;
 - (b) fifty-five seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Meghalaya;
 - (c) thirty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Mizoram; and
 - (d) fifty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Nagaland.]
- ⁴[(1C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), twenty seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Tripura to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1992 (38 of 1992).]
- (2) Every assembly constituency referred to ⁵[in sub-section (1) or sub-section (1A)] shall be a single-member constituency.
- ⁶[(3) The extent of each assembly constituency in all the States and Union Territories except the assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and the extent of each assembly constituency in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as provided for in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 having regard to the provisions of sections 10A and 10B of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).]
- ⁷[**7A. Total number of seats in the Legislative Assembly of Sikkim and Assembly Constituencies**.—(*I*) Notwithstanding anything contained in section 7, in the Legislative Assembly of the State of Sikkim [deemed under the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 to be the

^{1.} Ins. by Act 8 of 1980, s. 2 (w.e.f. 1-9-1979).

^{2.} Ins. by Act 40 of 1987, s. 2 (w.e.f. 22-9-1987).

^{3.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 3, for "thirty-nine seats" (w.e.f. 16-4-2008).

^{4.} Ins. by Act 38 of 1992, s. 2 (w.e.f. 5-12-1992).

^{5.} Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for "in sub-section (1)" (w.e.f. 1-9-1979).

^{6.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 3, for sub-section (3) (w.e.f. 16-4-2008).

^{7.} Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and the Schedule (w.e.f. 9-9-1975).

Legislative Assembly of that State duly constituted], the total number of seats to be filled by persons chosen by direct election from Assembly constituencies shall be 32.

- (2) Every Assembly constituency referred to in sub-section (1) shall be a single-member constituency.
- (3) In the Legislative Assembly so deemed to be duly constituted, the extent of each constituency and the reservation of seats shall be as provided for immediately before the commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975.]

The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order

- **8.** Consolidation of delimitation orders.—¹[(1) Having regard to all the orders referred to in sub-section (5) of section 4 and sub-section (3) of section 7 relating to the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in all States and Union Territories, except the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland, made by the Delimitation Commission and published in the Official Gazette, the Election Commission shall—
 - (a) after making such amendments as appear to it to be necessary for bringing up-to-date the description of the extent of the parliamentary and assembly constituencies as given in such orders, without, however, altering the extent of any such constituency;
 - (b) after taking into account the provisions of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, as made applicable pursuant to the orders made by the President under section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) relating to delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland, and the provisions of section 10B of the said Act relating to delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State of Jharkhand,

consolidate all such orders into one single order to be known as the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 and shall send authentic copies of that Order to the Central Government and to the Government of each State having a Legislative Assembly; and thereupon that Order shall supersede all the orders referred to in sub-section (5) of section 4 and sub-section (3) of section 7 and shall have the force of law and shall not be called in question in any court.]

- (2) As soon as may be, after the said Order is received by the Central Government or by the Government of a State, that Government shall cause it to be laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State.
- ²[(3) The consolidation under sub-section (1) of the orders referred to in sub-section (5) of section 4, or as the case may be, sub-section (3) of section 7 shall not, ³[as provided in sub-section (5) of section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002)], affect the representation in, and the territorial constituencies of, the House of the People or the Legislative Assembly of the State existing on the date of publication in the Gazette of India of any such order or orders as may be relevant.]
- ⁴[8A. Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland.—(1) If the President is satisfied that the situation and the conditions prevailing in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland are conducive for the conduct of delimitation exercise, he may, by order, rescind the deferment order issued under the provisions of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) in relation to that State, and provide for the conduct of delimitation exercise in the State by the Election Commission.
- (2) As soon as may be after the deferment order in respect of a State is rescinded under sub-section (1), the Election Commission may, by order, determine—

^{1.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 4, for sub-section (1) (w.e.f. 16-4-2008).

^{2.} Ins. by Act 88 of 1976, s. 4 (w.e.f. 2-9-1976).

^{3.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 4, for certain words (w.e.f. 16-4-2008).

^{4.} Ins. by s. 5, ibid. (w.e.f. 16-4-2008).

- (a) the parliamentary constituencies into which such State to which more than one seat is allotted in the First Schedule shall be divided:
 - (b) the extent of each constituency; and
 - (c) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
- (3) As soon as may be after the deferment order in respect of a State is rescinded under sub-section (1), the Election Commission may, by order, determine—
 - (a) the assembly constituencies into which such State shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of that State;
 - (b) the extent of each constituency; and
 - (c) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
- (4) Subject to the provisions of sub-section (1), the Election Commission shall, having regard to the provisions of the Constitution and the principles specified in clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) determine the parliamentary and assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland in which seats shall be reserved, if any, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
 - (5) The Election Commission shall,—
 - (a) publish its proposals under sub-sections (2), (3) and (4) with respect to any State in the Official Gazette and also in such other manner as it thinks fit;
 - (b) specify a date on or after which the proposals will be further considered by it;
 - (c) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;
 - (d) hold, for the purpose of such consideration, if it thinks fit so to do, one or more public sittings at such place or places in such State as it thinks fit;
 - (e) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine, by order, the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State and also the constituency or constituencies in which seats shall be reserved, if any, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and cause such order to be published in the Official Gazette; and, upon such publication, the order shall have the force of law and shall not be called in question in any court and the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 shall be deemed to have been amended accordingly.
- (6) Every order made under sub-sections (1) and (2) and clause (e) of sub-section (5) shall be laid before each House of Parliament.
- (7) Every order made under sub-sections (1) and (3) and clause (e) of sub-section (5) shall, as soon as may be after it is published under that sub-section, be laid before the Legislative Assembly of the State concerned.]
- **9.** Power of Election Commission to maintain Delimitation Order up-to-date.— (1) The Election Commission may, from time to time, by notification published in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned,—
 - ¹[(a) correct any printing mistake in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 or any error arising therein from inadvertent slip or omission;

^{1.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 6, for clause (a) (w.e.f. 16-4-2008).

- (aa) make such amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 as appear to it to be necessary or expedient for consolidating with that Order any notification or order relating to delimitation of Parliamentary or assembly constituencies (including reservation of seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in such constituencies) issued under section 8A of this Act or any other Central Act;]
- (b) where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in the Order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date;
- ¹[(c) make such amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date by including therein and excluding therefrom the relevant areas, consequent upon the exchange of one hundred and eleven enclaves of India and fifty-one enclaves of Bangladesh with effect from 31st July, 2015, in pursuance of the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015.]
- (2) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.]

- 9A. [Power of Election Commission to determine the constituencies to be reserved for scheduled Tribes in main states].—Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act, 2008 (10 of 2008), s. 7 (w.e.f. 16-4-2008).
- 9B. [Power of Election Commission to determine certain constituencies to be reserved for Scheduled Tribes in the State of Tripura]. Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act, 2008 (10 of 2008), s. 7 (w.e.f. 16-4-2008).

The State Legislative Councils

- 10. Allocation of seats in the Legislative Councils.—(1) The allocation of seats in the Legislative Councils of the States having such Councils shall be as shown in the Third Schedule.
- (2) In the Legislative Council of each State specified in the first column of the Third Schedule, there shall be the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State, and of those seats.—
 - (a) the numbers specified in the third, fourth and fifth columns shall be the number of seats to be filled by persons elected, respectively, by the electorates referred to in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171;
 - (b) the number specified in the sixth column shall be the number of seats to be filled by persons elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of that Assembly; and
 - (c) the number specified in the seventh column shall be the number of seats to be filled by persons nominated by the Governor 3*** of the State in accordance with the provisions of clause (5) of article 171.

- 11. **Delimitation of Council Constituencies**.—As soon as may be after the commencement of this Act, the President shall, by order, determine—
 - (a) the constituencies into which each State having a Legislative Council shall be divided for the purpose of elections to that Council under each of the sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171:
 - (b) the extent of each constituency; and
 - (c) the number of seats allotted to each constituency.

Provisions as to orders delimiting constituencies

12. Power to alter or amend orders.— $^{5}[(I)]$ The President may, from time to time, after consulting the Election Commission, by order, alter or amend any order made by him under 6*** section 11.

^{1.} Ins. by Act 10 of 2016, s. 2 (w.e.f. 4-3-2016).

^{2.} Omitted by the Act 10 of 2008, s. 7 (w.e.f. 16-4-2008).

^{3.} The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Adaptation of Laws (No.2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).

^{4.} Omitted by Act 37 of 1957, s. 12 (w.e.f. 18-9-1957).

^{5.} Section 12 renumbered as sub-section (1) of that section by Act 20 of 1960, s. 2 (w.e.f. 8-5-1960).

^{6.} The words and figures "section 6, section 9, or" omitted by Act 2 of 1956, s. 7.

¹[(2) An order under sub-section (1) may contain provisions for the allocation of any member representing any council constituency immediately before the making of the order to any constituency delimited a new or altered by the order and for such other incidental and consequential matters as the President may deem necessary.]

13. Procedure as to orders delimiting constituencies.—2***

(3) Every order made under ³*** section 11 or section 12 shall be laid before Parliament as soon as may be after it is made, and shall be subject to such modifications as Parliament may make on a motion made within twenty days from the date on which the order is so laid.

⁴[PART IIA

OFFICERS

- **13A.** Chief electoral officers.—(1) There shall be for each State a chief electoral officer who shall be such officer of Government as the Election Commission may, in consultation with that Government, designate or nominate in this behalf.
- (2) Subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the chief electoral officer shall supervise the preparation, revision and correction of all electoral rolls in the State under this Act.
- ⁵[13AA. District election officers.—(*I*) For each district in a State, ⁶***, the Election Commission shall, in consultation with the Government of the State, designate or nominate a district election officer who shall be an officer of Government:

Provided that the Election Commission may designate or nominate more than one such officer for a district if the Election Commission is satisfied that the functions of the office cannot be performed satisfactorily by one officer.

- (2) Where more than one district election officer are designated or nominated for a district under the proviso to sub-section (1), the Election Commission shall in the order designating or nominating the district election officers also specify the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction.
- (3) Subject to the superintendence, direction and control of the chief electoral officer, the district election officer shall coordinate and supervise all work in the district or in the area within his jurisdiction in connection with the preparation and revision of the electoral rolls for all parliamentary, assembly and council constituencies within the district.
- (4) The district election officer shall also perform such other functions as may be entrusted to him by the Election Commission and the chief electoral officer.]
- **13B.** Electoral registration officers.—(1) The electoral roll ⁷[8[for each parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly], each assembly constituency and each Council constituency] shall be prepared and revised by an electoral registration officer who shall be such officer of Government or of a local authority as the Election Commission may, in consultation with the Government of the State in which the constituency is situated, designate or nominate in this behalf.
- (2) An electoral registration officer may, subject to any prescribed restrictions, employ such persons as he thinks fit for the preparation and revision of the electoral roll for the constituency.

^{1.} Ins. by Act 20 of 1960, s. 2 (w.e.f. 8-5-1960).

^{2.} Sub-sections (1) and (2) omitted by Act 2 of 1956, s. 8 (w.e.f. 1-3-1956).

^{3.} The words and figures "section 6, section 9," omitted by s. 8, *ibid*. (w.e.f. 1-3-1956).

^{4.} Ins. by s. 9, ibid. (w.e.f. 1-3-1956).

^{5.} Ins. by Act 47 of 1966, s. 5 (w.e.f. 14-12-1966).

^{6.} The words "other than a Union territory," omitted by Act 2 of 2004, s. 2 (w.e.f. 29-10-2003).

^{7.} Subs. by Act 103 of 1956, s. 65, for certain words (w.e.f. 1-1-1957).

^{8.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 6, for certain words (w.e.f.14-12-1966).

- 13C. Assistant electoral registration officers.—(1) The Election Commission may appoint one or more persons as assistant electoral registration officers to assist any electoral registration officer in the performance of his functions.
- (2) Every assistant electoral registration officer shall, subject to the control of the electoral registration officer, be competent to perform all or any of the functions of the electoral registration officer.
- ¹[13CC. Chief Electoral Officers, District Election Officers, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.—The officers referred to in this Part and any other officer or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.]

PART IIB

ELECTORAL ROLLS FOR PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES

²[13D. Electoral rolls for parliamentary constituencies.—(1) The electoral roll for every parliamentary constituency, other than a parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly, shall consist of the electoral rolls for all the assembly constituencies comprised within that parliamentary constituency; and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such parliamentary constituency:

Provided that for the period referred to in clause (2) of article 371A, it shall be necessary to prepare and revise separately the electoral roll for that part of the parliamentary constituency of Nagaland which comprises the Tuensang district and the provisions of Part III shall apply in relation to the preparation and revision of the electoral roll of the said part as they apply in relation to an assembly constituency.

(2) The provisions of Part III shall apply in relation to every parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly as they apply in relation to an assembly constituency.]

PART III

³[ELECTORAL ROLLS FOR ASSEMBLY ^{4***} CONSTITUENCIES]

- ⁵[14. **Definitions**.—In this Part, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "constituency" means an Assembly constituency 4***;
- (b) "qualifying date", in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this Part, means ⁶[the 1st day of January, the 1st day of April, the 1st day of July and the 1st day of October] of the year in which it is so prepared or revised:]

⁷[Provided that "qualifying date", in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this Part in the year 1989, shall be the 1st day of April, 1989.]

15. Electoral roll for every constituency.—For every constituency there shall be an electoral roll which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the superintendence, direction and control of the Election Commission.

^{1.} Ins. by Act 1 of 1989, s. 2 (w.e.f. 15-3-1989).

^{2.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 7, for section 13D (w.e.f. 14-12-1966).

^{3.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 10, for the heading "REGISTRATION OF PARLIAMENTARY ELECTORS" (w.e.f. 1-8-2022).

^{4.} Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 65 (w.e.f. 1-1-1957).

^{5.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 11, for section 14 (w.e.f. 1-3-1956).

^{6.} Subs. by Act 49 of 2021, s. 2, for "the 1st day of January" (w.e.f.1-8-2022).

^{7.} Ins. by Act 21 of 1989, s. 3 (w.e.f. 28-3-1989).

- **16. Disqualifications for registration in an electoral roll.**—(1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he—
 - (a) is not a citizen of India; or
 - (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (c) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt 1*** practices and other offences in connection with elections.
- (2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included:

²[Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a constituency by reason of a disqualification under clause (c) of sub-section (I) shall forthwith be re-instated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under any law authorising such removal.]

- **17.** No person to be registered in more than one constituency.—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency ³* * *.
- **18.** No Person to be registered more than once in any constituency.—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once.
- ⁴[19. Conditions of registration.—Subject to the foregoing provisions of this Part, every person who
 - (a) is not less than ⁵[eighteen years] of age on the qualifying date, and
 - (b) is ordinarily resident in a constituency,

shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.]

- **20.** Meaning of "ordinarily resident".— $^{6}[(1)]$ A person shall not be deemed to be ordinarily resident in a constituency on the ground only that he owns, or is in possession of, a dwelling house therein.
- (1A) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.
- (1B) A member of Parliament or of the Legislature of a State shall not during the term of his office cease to be ordinarily resident in the constituency in the electoral roll of which he is registered as an elector at the time of his election as such member, by reason of his absence from that constituency in connection with his duties as such member.]
- (2) A person who is a patient in any establishment maintained wholly or mainly for the reception and treatment of persons suffering from mental illness or mental defectiveness, or who is detained in prison or other legal custody at any place, shall not by reason thereof be deemed to be ordinarily resident therein.
- ⁷[(3) Any person having a service qualification shall be deemed to be ordinarily resident on any date in the constituency in which, but for his having such service qualification, he would have been ordinarily resident on that date.]

^{1.} The words "and illegal" omitted by Act 58 of 1960, s. 3 and the Second Schedule (w.e.f. 26-12-1960).

^{2.} Ins. by Act 73 of 1950, s. 4 (w.e.f. 23-12-1950).

^{3.} The words "in the same State" omitted by Act 58 of 1958, s. 6 (w.e.f. 30-12-1958).

^{4.} Subs. by s. 7, *ibid.*, for section 19 (w.e.f. 30-12-1958).

^{5.} Subs. by Act 21 of 1989, s. 4, for "twenty-one years" (w.e.f. 28-3-1989).

^{6.} Subs. by Act 58 of 1958, s. 8, for sub-section (1) (w.e.f. 30-12-1958).

^{7.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 8, for sub-section (3) (w.e.f. 14-12-1966).

- (4) Any person holding any office in India declared¹ by the President in consultation with the Election Commission to be an office to which the provisions of this sub-section apply, ²*** shall be deemed to be ordinarily resident ³*** on any date in the constituency in which, but for the holding of any such office ⁴***, he would have been ordinarily resident ⁵* * on that date.
- (5) The statement of any such person as is referred to in sub-section (3) or sub-section (4) made in the prescribed form and verified in the prescribed manner, that ⁶[but for his having the service qualification] or but for his holding any such office ⁷*** as is referred to in sub-section (4) he would have been ordinarily resident in a specified place ⁸*** on any date, shall, in the absence of evidence to the contrary, be ⁶[accepted as correct].
- (6) The ⁹[spouse] of any such person as is referred to in sub-section (3) or sub-section (4) shall ¹⁰[if such spouse] be ordinarily residing with such person ¹¹*** be deemed to be ordinarily resident on ¹²*** in the constituency specified by such person under sub-section (5).
- ¹³[(7) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case and to such rules as may be made in this behalf by the Central Government in consultation with the Election Commission.]
 - (8) In sub-sections (3) and (5) "service qualification" means—
 - (a) being a member of the armed forces of the Union; or
 - (b) being a member of a force to which the provisions of the Army Act, 1950 (46 of 1950), have been made applicable whether with or without modifications; or
 - (c) being a member of an armed police force of a State, who is serving outside that State; or
 - (d) being a person who is employed under the Government of India, in a post outside India.

¹⁴[**20A. Special provisions for citizens of India residing outside India.**—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, every citizen of India—

(a) whose name in not included in the electoral roll;

- The President of India.
- 2. The Vice-President of India.
- 3. The Governors of States.
- 4. Cabinet Ministers of the Union or of any State.
- 5. The Deputy Chairman and Members of the Planning Commission.
- 6. The Ministers of State of the Union or of any State.
- 7. The Deputy Ministers of the Union or of any State.
- 8. The Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly.
- 9. The Chairman of any State Legislative Council.
- 10. The Lieutenant Governors of Union territories.
- 11. The Deputy Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly.
- 12. The Deputy Chairman of the Council of States or of any State Legislative Council.
- 13. The Parliamentary Secretaries of the Union or of any State.
- 2. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).
- 3. The words "during any period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
- 4. The words "or employment" omitted by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).
- 5. The words "during any period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
- 6. Subs. by Act 47 of 1966, s. 8, for certain words (w.e.f. 14-12-1966).
- 7. Certain words omitted by s. 8, *ibid*. (w.e.f. 14-12-1966).
- 8. The words "during any period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
- 9. Subs. by Act 49 of 2021, s. 3, for "wife" (w.e.f. 1-8-2022).
- 10. Subs. by s. 3, *ibid.*, for "if she" (w.e.f. 1-8-2022).
- 11. The words "during any period" omitted by Act 2 of 1956, s. 14 (w.e.f. 1-3-1956).
- 12. The words "during that period" omitted by s. 14, *ibid* (w.e.f. 1-3-1956).
- 13. Ins. by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).
- 14. Ins. by Act 36 of 2010, s. 2 (w.e.f. 10-2-2011).

^{1.} The following offices have been declared by the President by Notification No. S.O. 959, dated the 18th April, 1960: —

- (b) who has not acquired the citizenship of any other country; and
- (c) who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise outside India (whether temporarily or not),

shall be entitled to have his name registered in the electoral roll in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.

- (2) The time within which the name of persons referred to in sub-section (1) shall be registered in the electoral roll and the manner and procedure for registering of a person in the electoral roll under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.
- (3) Every person registered under this section shall, if otherwise eligible to exercise his franchise, be allowed to vote at an election in the constituency.]
- 1 [21. Preparation and revision of electoral rolls. (1) The electoral roll for each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this Act.
 - ²[(2) The said electoral roll—
 - (a) shall, unless otherwise directed by the Election Commission for reasons to be recorded in writing, be revised in the prescribed manner by reference to the qualifying date—
 - (i) before each general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State; and
 - (ii) before each bye-election to fill a casual vacancy in a seat allotted to the constituency; and
 - (b) shall be revised in any year in the prescribed manner by reference to the qualifying date if such revision has been directed by the Election Commission:

Provided that if the electoral roll is not revised as aforesaid, the validity or continued operation of the said electoral roll shall not thereby be affected.]

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Election Commission may at any time, for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit:

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the constituency, as in force at the time of the issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

- ³[22. Correction of entries in electoral rolls.—If the electoral registration officer for a constituency, on application made to him or on his own motion, is satisfied after such inquiry as he thinks fit, that any entry in the electoral roll of the constituency—
 - (a) is erroneous or defective in any particular,
 - (b) should be transposed to another place in the roll on the ground that the person concerned has changed his place of ordinary residence within the constituency, or
 - (c) should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinarily resident in the constituency or is otherwise not entitled to be registered in that roll,

the electoral registration officer shall, subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, amend, transpose or delete the entry ⁴[after proper verification of facts in such manner as may be prescribed]:

_

^{1.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 15, for sections 21 to 25 (w.e.f. 1-3-1956).

^{2.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 9, for sub-section (2) (w.e.f. 14-12-1966).

^{3.} Subs. by Act 58 of 1958, s. 9, for section 22 (w.e.f. 30-12-1958).

^{4.} Ins. by Act 36 of 2010, s. 3 (w.e.f. 10-2-2011).

Provided that before taking any action on any ground under clause (a) or clause (b) or any action under clause (c) on the ground that the person concerned has ceased to be ordinarily resident in the constituency or that he is otherwise not entitled to be registered in the electoral roll of that constituency, the electoral registration officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him ¹[after proper verification of facts in such manner as may be prescribed].

- ²[23. Inclusion of names in electoral rolls.— (1) Any person whose name is not included in the electoral roll of a constituency may apply to the electoral registration officer for the inclusion of his name in that roll.
- (2) The electoral registration officer shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the electoral roll, direct his name to be included therein ³[after proper verification of facts in such manner as may be prescribed]:

Provided that if the applicant is registered in the electoral roll of any other constituency, the electoral registration officer shall inform the electoral registration officer of that other constituency and that officer shall, on receipt of the information, strike off the applicant's name from that roll ³[after proper verification of facts in such manner as may be prescribed].

- (3) No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made under section 22 and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a constituency shall be given under this section, after the last date for making nominations for an election in that constituency or in the parliamentary constituency within which that constituency is comprised and before the completion of that election.]
- ⁴[(4) The electoral registration officer may for the purpose of establishing the identity of any person require that such person may furnish the Aadhaar number given by the Unique Identification Authority of India as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016):

Provided that the electoral registration officer may also require the Aadhaar number from persons already included in the electoral roll for the purposes of authentication of entries in electoral roll and to identify registration of name of the same person in the electoral roll of more than one constituency or more than once in the same constituency.

- (5) Every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as may be prescribed, on or before a *date to be notified by the Central Government in the Official Gazette.
- (6) No application for inclusion of name in the electoral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed:

Provided that such individual may be allowed to furnish such other alternate documents as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of Section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).]

_

^{1.} Ins. by Act 36 of 2010, s. 3 (w.e.f. 10-2-2011).

^{2.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 10, for s. 23 (w.e.f. 14-12-1966).

^{3.} Ins. by Act 36 of 2010, s. 4 (w.e.f. 10-2-2011).

^{4.} Ins. by Act 49 of 2021, s. 4 (w.e.f. 1-8-2022).

^{* 1}st April, 2023 section 25 (5), vide notification No. S.O. 2805(E), dated 17th June, 2022, see Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3 (ii).

- ¹[24. Appeals.—An appeal shall lie within such time and in such manner as may be prescribed—
 - (a) to the ²[district magistrate or additional district magistrate or executive magistrate or district collector or an officer of equivalent rank], from any order of the electoral registration officer under section 22 or section 23 ^{3***}.
 - $^{4}[(b)]$ to the chief electoral officer, from any order of the district magistrate or the additional district magistrate under clause (a)].
- **25.** Fee for applications and appeals.— Every applications under section 22 or section 23 and every appeal under section 24 shall be accompanied by the prescribed fee which shall, in no case, be refunded.]
- ⁵[25A. Conditions of registration as elector in Sangha constituency in Sikkim.—Notwithstanding anything contained in sections 15 and 19, for the Sangha constituency in the State of Sikkim, only the Sanghas belonging to monasteries, recognised for the purpose of the elections held in Sikkim in April, 1974, for forming the Assembly for Sikkim, shall be entitled to be registered in the electoral roll, and the said electoral roll shall, subject to the provisions of sections 21 to 25, be prepared or revised in such manner as may be directed by the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim.]

PART IV

⁶[ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES]

- **26.** [Preparation of electoral rolls for Assembly constituencies.] Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 17.
- 27. Preparation of electoral roll for Council constituencies.—(1) In this section, "local authorities' constituency", "graduates' constituency" and "teachers' constituency" mean a constituency for the purpose of elections to a Legislative Council under sub-clause (a), sub-clause (b) and sub-clause (c), respectively, of clause (d) of article 171.
- ⁷[(2) For the purpose of elections to the Legislative Council of a State in any local authorities' constituency—
 - (a) the electorate shall consist of members of such local authorities exercising jurisdiction in any place or area within the limits of that constituency as are specified in relation to that State in the Fourth Schedule;
 - (b) every member of each such local authority within a local authorities' constituency shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency;
 - (c) the electoral registration officer for every local authorities' constituency shall maintain in his office in the prescribed manner and form the electoral roll for that constituency corrected up-to-date;
 - (d) in order to enable the electoral registration officer to maintain the electoral roll corrected up-to-date, the chief executive officer of every local authority (by whatever designation such officer may be known) shall immediately inform the electoral registration officer about every change in the membership of that local authority; and the electoral registration officer shall, on receipt of the information, strike off from the electoral roll the names of persons who have ceased to be, and include therein the names of persons who have become, members of that local authority; and

^{1.} Ins. by Act 40 of 1961, s. 3 (w.e.f. 20-9-1961).

^{2.} Subs. by Act 41 of 2009, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-2-2010).

^{3.} The word "and" omitted by Act 47 of 1966, s. 11 (w.e.f. 14-12-1966).

^{4.} Ins. by Act 41 of 2009, s. 2 (w.e.f. 1-2-2010).

^{5.} Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and the Schedule (w.e.f. 9-9-1975).

^{6.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 16, for the heading (w.e.f. 1-3-1956).

^{7.} Subs. by s. 18, *ibid.*, for sub-section (2) (w.e.f. 1-3-1956).

- (e) the provisions of sections 15, 16, 18, 22 and 23 shall apply in relation to local authorities' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies.]
- (3) For the purpose of elections to the Legislative Council of a State in the graduates' constituencies and the teachers' constituencies, the State Government concerned may, with the concurrence of the Election Commission, by notification in the Official Gazette, specify—
 - (a) the qualifications which shall be deemed to be equivalent to that of a graduate of a university in the territory of India, and
 - (b) the educational institutions within the State not lower in standard than that of a secondary school.
- ¹[(4) The provisions of sections 15, 16, 18, 21, 22 and 23 shall apply in relation to graduates' constituencies and teachers' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies.]
 - (5) Subject to the foregoing provisions of this section,—

2* * * * * *

- ³[(a)] every person who ⁴[is] ordinarily resident in a graduates' constituency and has, for at least three years ⁵[before the qualifying date], been either a graduate of a University in the territory of India or in possession of any of the qualifications specified under clause (a) of sub-section (3) by the State Government concerned, shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency; and
- ⁶[(b)] every person who ⁵[is] ordinarily resident in a teachers' constituency, and has, within the six years immediately ⁶[before the qualifying date] for a total period of at least three years, been engaged in teaching in any of the educational institutions specified under clause (b) of sub-section (3) by the State Government concerned shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.
- 7 [(6) For the purposes of sub-sections (4) and (5) the qualifying date shall be the 1st day of November of the year in which the preparation or revision of the electoral roll is commenced.]

8[PART IVA

MANNER OF FILLING SEATS IN THE COUNCIL OF STATES TO BE FILLED BY REPRESENTATIVES OF ⁹[UNION TERRITORIES]

27A. Constitution of electoral colleges for the filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.—(I) 10 [For the purpose of filling any seat] or seats in the Council of States allotted to any 6 [Union territory] $^{11}***$ in the Fourth Schedule to the Constitution there shall be an electoral college for 12 [each such territory] $^{13}***$.

14*	*	*	*	*
15*	*	*	*	*

^{1.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 18(b), for sub-section (4) (w.e.f. 1-3-1956).

^{2.} Clause (a) omitted by s. 18(c), ibid. (w.e.f. 1-3-1956).

^{3.} Clause (b) re-lettered as clause (a) by s. 18(c), ibid. (w.e.f. 1-3-1956).

^{4.} Subs. by Act 40 of 1961, s. 4, for "on the qualifying date was" (w.e.f. 20-9-1961).

^{5.} Subs. by s. 4, ibid., for "before that date" (w.e.f. 20-9-1961).

^{6.} Clause (c) re-lettered as clause (b) by Act 2 of 1956, s. 18(c) (w.e.f. 1-3-1956).

^{7.} Subs. by Act 40 of 1961, s. 4(b), *ibid.*, for sub-section (6) (w.e.f. 20-9-1961). Earlier sub-section (6) was substituted by Act 2 of 1956, s. 18(d) (w.e.f. 1-3-1956).

^{8.} Ins. by Act 73 of 1950, s. 8 (w.e.f. 23-12-1950).

^{9.} Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C States" (w.e.f. 23-12-1950).

^{10.} Subs. by Act 29 of 1975, s. 11(a), for certain words (w.e.f. 15-8-1975).

^{11.} The words "or group of such States" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-3-1956).

^{12.} Subs., *ibid.*, for "each such State".

^{13.} The words "or group of States" omitted by Act 2 of 1956, s. 19 (w.e.f. 1-3-1956).

^{14.} The proviso omitted by s.19, *ibid* (w.e.f. 1-3-1956).

^{15.} Omitted by Act 20 of 1963, s. 57(I)(b) and the Second Schedule. Earlier sub-section (2) was amended by Act 49 of 1951, s.44 and Schudle 5 (w.e.f. 13-5-1963).

- ¹[²[(3) The electoral college for the Union territory of Delhi shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992).]
- ³[(4) ⁴[The electoral college for the Union territory of ⁵*** Pondicherry] shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963).]]

- **27B.** [Electoral College constituencies.] Omitted by the Territorial Councils Act, 1956 (103 of 1956), s. 65.
 - **27C.** [Delimitation of Electoral College constituencies.] Omitted by s. 65, ibid.
 - **27D.** [Power to alter or amend orders.] Omitted. by s. 65, ibid.
- **27E.** [Procedure as to orders delimiting constituencies.] Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 21.
 - **27F**. [Electoral rolls for Council of States constituencies.] Omitted by s. 22, ibid.
- **27G.** Termination of membership of electoral college for certain disqualifications.—If a person who is a member of an electoral college becomes subject to any disqualification for membership of Parliament under the provisions of any law relating to corrupt and illegal practices and other offences in connection with elections to Parliament, he shall thereupon cease to be such member of the electoral college.
- **27H.** Manner of filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.—^{8***} The seat or seats in the Council of States allotted to any ⁹[Union territory] ^{10***} in the Fourth Schedule to the Constitution shall be filled by a person or persons elected by the members of the electoral college for ¹¹[that territory] ^{12***} in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:

¹³[Provided that the person who immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, is filling the seat allotted to the Part C States of Manipur and Tripura shall, as from such commencement, be deemed to have been duly elected to fill the seat allotted to the Union territory of Tripura.]

- **27-I.** [Special provisions for the filling of the seats in the Council of States allotted to the States of Ajmer and Coorg and the States of Manipur and Tripura.] Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
- **27J.** Powers of electoral colleges to elect notwithstanding vacancies therein. —No election by the members of an electoral college ¹⁴*** under this Act shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in the membership of such college ⁷* * *.

^{1.} Subs. by Act 103 of 1956, s. 65(f), for sub-sections (3), (4) or (5) (w.e.f. 1-1-1957).

^{2.} Subs. by Act 1 of 1992, s. 55, for sub-section (3) (w.e.f. 2-10-1993).

^{3.} Subs. by Act 20 of 1963, s. 57(1)(b) and the second Schedule, for sub-section (4) (w.e.f. 13-5-1963).

^{4.} Subs. by Act 69 of 1986, s. 7, for certain words (w.e.f. 20-2-1987).

^{5.} The word "Mizoram" omitted by Act 34 of 1986, s. 7 (w.e.f. 20-2-1987).

^{6.} Sub-section (5) omitted by Act 29 of 1975, s. 11(c) (w.e.f. 15-8-1975).

^{7.} Sub-section (6) omitted by Act 32 of 1954, s. 7 (w.e.f. 1-7-1954).

^{8.} Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).

^{9.} Subs., ibid., for "Part C State" (w.e.f. 1-11-1956).

^{10.} The words "or group of such States" omitted, ibid. (w.e.f. 1-11-1956).

^{11.} Subs., ibid., for "such State". (w.e.f. 1-11-1956).

^{12.} The words "or group of States" omitted by Act 2 of 1956, s. 23 (w.e.f. 1-3-1956).

^{13.} Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 (w.e.f. 1-11-1956).

^{14.} Certain words omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and the Fifth Schedule (w.e.f. 6-9-1951).

27K. [Electoral colleges for certain States for which Legislative Assemblies have been constituted.] Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.] (w.e.f. 1-11-1956).

PART V

GENERAL

- **28. Power to make rules**.—(1) The Central Government may, after consulting the Election Commission, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - ¹[(a) the determination of ordinary residence under sub-section (7) of section 20;
 - (aa) the particulars to be entered in the electoral rolls;]
 - (b) the preliminary publication of electoral rolls 2* * *;
 - (c) the manner in which and the time within which claims and objections as to entries in electoral rolls may be preferred;

3* * * * * *

- (e) the manner in which notices of claims or objections shall be published;
- (f) the place, date and time at which claims or objections shall be heard and the manner in which claims or objections shall be heard and disposed of;
 - (g) the final publication of electoral rolls;
 - ⁴[(h) the revision and correction of electoral roll and inclusion of names therein;]
- ⁵[(*hh*) the procedure for proper verification of facts for amending, transposing or deleting any entry in the electoral rolls, under section 22;
- (*hhh*) the procedure for proper verification of facts for inclusion of or striking off, names in the electoral rolls, under sub-section (2) of section 23;]
- ⁶[(*hhha*) the authority and the form and manner of intimation of Aadhaar number under sub-section (5) of section 23;
- (*hhhb*) the sufficient cause and furnishing of alternate documents to be provided by the individual under sub-section (6) of section 23;]
 - (i) any other matter required to be prescribed by this Act.
- ⁷[(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to be validity of anything previously done under that rule.]

^{1.} Subs. by Act 47 of 1966, s. 12, for clause (a) (w.e.f. 14-12-1966).

^{2.} Certain words omitted by Act 73 of 1950, s. 9 (w.e.f. 23-12-1950).

^{3.} Clause (d) omitted by Act 20 of 1960, s. 3 (w.e.f. 8-5-1960).

^{4.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 24(a), for clause (h) (w.e.f. 1-3-1956).

^{5.} Ins. by Act 36 of 2010, s. 5 (w.e.f. 10-2-2011).

^{6.} Ins. by Act 49 of 2021, s. 5 (w.e.f. 1-8-2022).

^{7.} Subs. by Act 88 of 1976, s. 6, for sub-section (3) (w.e.f. 2-9-1976).

¹[29. Staff of local authorities to be made available.—Every local authority in a State shall, when so requested by the chief electoral officer of the State, make available to any electoral registration officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with the preparation and revision of electoral rolls.]

30. Jurisdiction of civil courts barred.—No civil court shall have jurisdiction—

- (a) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a constituency; or
- (b) to question the legality of any action taken by or under the authority of an electoral registration officer, or of any decision given by any authority appointed under this Act for the revision of any such roll.

²[³[31. Making false declarations.—If any person makes in connection with—

- (a) the preparation, revision or correction of an electoral roll, or
- (b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.]

- **32. Breach of official duty in connection with the preparation, etc., of electoral rolls.**—(1) If any electoral registration officer, assistant electoral registration officer or other person required by or under this Act to perform any official duty in connection with the preparation, revision or correction of an electoral roll or the inclusion or exclusion of any entry in or from that roll, is without reasonable cause, guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall be punishable ⁴[with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine].
- (2) No suit or other legal proceeding shall lie against any such officer or other person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.
- (3) No court shall take cognizance of any offence punishable under sub-section (1) unless there is a complaint made by order of, or under authority from, the Election Commission or the Chief Electoral Officer of the State concerned.]

^{1.} Subs. by Act 2 of 1956, s. 25, for section 29 (w.e.f. 1-3-1956).

^{2.} Ins. by Act 58 of 1958, s. 11 (w.e.f. 30-12-1958).

^{3.} Subs. by Act 20 of 1960, s. 4, for section 31 (w.e.f. 8-5-1960).

^{4.} Subs. by Act 21 of 1996, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-8-1996).

¹[THE FIRST SCHEDULE

(See section 3)

Allocation of Seats in the House of the People

Name of the State/Union Name of the State/Union Number of seats in the House as constituted in 2004 Number of seats in the House as subsequently constituted as						
territory	on the basis of the Delimitation of Parliamentary and			per the Delimitation of Parliamentary and Assembly		
	Assembly Constituencies Order, 1976 as amended from time to time			Constituencies Order, 2008		
	Total	Reserved for	Reserved for	Total	Reserved for the	Reserved for the
		the Scheduled	the Scheduled		Scheduled Castes	Scheduled Tribes
		Castes	Tribes			
1	2	3	4	5	6	7
I. STATES						
² [1. Andhra Pradesh	42	6	2	25	4	1]
2. Arunachal Pradesh	2	-	-	2	-	-
3. Assam	14	1	2	14	1	2
4. Bihar	40	7	-	40	6	-
5.Chhattisgarh	11	2	4	11	1	4
6. Goa	2	-	-	2	-	-
7. Gujarat	26	2	4	26	2	4
8. Haryana	10	2	-	10	2	-
9. Himachal Pradesh	4	1	-	4	1	-
³ [*	*	*	*	*	*	*]
10. Jharkhand	14	1	5	14	1	5
11. Karnataka	28	4	-	28	5	2
12. Kerala	20	2	-	20	2	-
13. Madhya Pradesh	29	4	5	29	4	6
14. Maharashtra	48	3	4	48	5	4
15. Manipur	2	-	1	2	-	1
16. Meghalaya	2	-	-	2	-	2
17. Mizoram	1	-	1	1	-	1
18. Nagaland	1	-	-	1	-	_
19. Orissa	21	3	5	21	3	5
20. Punjab	13	3	-	13	4	_
21. Rajasthan	25	4	3	25	4	3
22. Sikkim	1	-	-	1	-	_
23. Tamil Nadu	39	7	-	39	7	_
⁴ [24. Telangana	-	-	-	17	3	2]
25. Tripura	2	-	1	2	-	1
26. Uttarakhand	5	-	-	5	1	_
27. Uttar Pradesh	80	18	-	80	17	_
28. West Bengal	42	8	2	42	10	2
II. UNION TERRITORIES						
1. Andaman and Nicobar	1	-	-	1	-	-
Islands						
2. Chandigarh	1	-	-	1	-	-
⁵ [3. Dadra and Nagar	1	-	1	2	-	1]
Haveli Daman and Diu						
4. Delhi	7	1	-	7	1	-
5. Lakshadweep	1	-	1	1	-	1
6. Puducherry	1	-	-	1	-	-
⁶ [7. Jammu and Kashmir	5	-	-	5	-	-]
8. Ladakh	1	-	-	1	-	-
	543	79	41	543	84	47

^{1.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 8, for the First Schedule (w.e.f. 16-4-2008).

Subs. by Act 6 of 2014, s. 14 and the Second Schedule, for "1. Andhra Pradesh 42 6 2 42 7 3" (w.e.f. 2-6-2014).
 Entry "10. Jammu and Kashmir" deleted by Act 34 of 2019, s. 10 (w.e.f. 31-10-2019). Now Jammu and Kashmir is a Union territory, vide Act 34 of 2019, s. 2 (w.e.f. 31-10-2019).

^{4.} Ins. by Act 6 of 2014, s. 14 and the Second Schedule (w.e.f. 2-6-2014).

^{5.} Subs. by Act 44 of 2019, ss. 3 and 6 (w.e.f. 26-1-2020).

^{6.} Ins. by Act 34 of 2019, ss. 3 and 10 (w.e.f. 31-10-2019).

¹[THE SECOND SCHEDULE]

(See sections 7 and 7A)

Total number of Seats in the Legislative Assemblies

Name of the State/Union territory	Number of seats in the House as constituted on the basis of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 as amended from time to time		Number of seats in the House as subsequently constituted as per the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008			
	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes
1	2	3	4	5	6	7
I. STATES						
² [1. Andhra Pradesh	294	39	15	175	29	7]
2. Arunachal Pradesh	60	-	59	60	-	59
3. Assam	126	8	16	126	8	16
4. Bihar	243	39	-	243	38	2
5.Chhattisgarh	90	10	34	90	10	29
6. Goa	40	1	-	40	1	-
7. Gujarat	182	13	26	182	13	27
8. Haryana	90	17	-	90	17	-
9. Himachal Pradesh	68	16	3	68	17	3
3[*	*	*	*	*	*	*]
⁴ [10. Jharkhand	81	9	28	81	9	28
11. Karnataka	224	33	2	224	36	15
12. Kerala	140	13	1	140	14	2
13. Madhya Pradesh	230	34	41	230	35	47
14. Maharashtra	288	18	22	288	29	25
15. Manipur	60	1	19	60	1	19
16. Meghalaya	60	_	55	60	_	55
17. Mizoram	40	_	39	40	_	⁵ [39]
18. Nagaland	60	_	59	60	_	59
19. Orrisa	147	22	34	147	24	33
20. Punjab	117	29	-	117	34	-
21. Rajasthan	200	33	24	200	34	25
22. Sikkim	32	2	12**	32	2	12**
23. Tamil Nadu	234	42	3	234	44	2
⁶ [24. Telangana	-	-	-	119	19	12]
	60	7	20	60	10	_
25. Tripura 26. Uttarakhand	70	12	3	70	13	20 2
	403	89	3 -	403	85	2 -
27.Uttar Pradesh 28. West Bengal	294	59 59	17	294	68	16]
II. UNION TERRITORIES		10		50	15	
1. Delhi	70	13	-	70	12	-
2. Puducherry	30	5	-	30	5	-
⁷ [3. Jammu and Kashmir	83	6	-	83	6	-]

^{1.} Subs. by Act 10 of 2008, s. 8, for the Second Sch. (w.e.f. 16-4-2008).

Subs. by Act 6 of 2014, s. 17, for entry 1 (w.e.f. 2-6-2014).
 Entry 10 omitted by Act 34 of 2019, s. 14 (w.e.f. 31-10-2019).

^{4.} Entries 11 to 29 renumbered as 10 to 28 by Act 34 of 2019, s. 14(9)(b) (w.e.f. 31-10-2019). 5. Subs. by Act 41 of 2009, s. 3, for "38" (w.e.f. 1-2-2010). 6. Ins. by Act 6 of 2014, s. 17 (w.e.f. 2-6-2014). 7. Ins. by Act 34 of 2019, s. 14 (w.e.f. 31-10-2019).

^{*}Under the Constitution of Jammu and Kashmir, the number of seats in the Legislative Assembly of that State excluding the 24 seats earmarked for Pakistan occupied territory is 87 out of which 7 seats have been reserved for the Scheduled Castes in pursuance of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957.

^{**} Reserved 1 seat for Sanghas and 12 seats for the Sikkimese of Bhutia Lepcha origin.]

¹[THE THIRD SCHEDULE

(See section 10)

Allocation of Seats in the Legislative Councils

Name of State	Total number of seats	Number to be elected or nominated under article 171(3)					
	South	Sub-clause (a)	Sub-clause (b)	Sub-clause (c)	Sub-clause (d)	Sub-clause (e)	
1	2	3	4	5	6	7	
² [1. Andhra Pradesh ³ [2. Bihar ⁴ *	58 75 *	20 24 *	5 6 *	5 6 *	20 27 *	8] 12] *	
⁵ [3.] Madhya Pradesh	90	31	8	8	31	12 *	
⁷ [5. Maharashtra ⁸ [6. ⁹ [Karnataka] ¹⁰ *	78 75 *	22 25 *	7 7 *	7 7 *	30 25 *	12] 11] *	
¹¹[7. Tamil Nadu¹²[7A. Telangana¹³[8. Uttar Pradesh	78 40 100	26 14 36	7 3 8	7 3 8	26 14 38	12] 6] 10]	

^{1.} Subs. by Act 37 of 1957, s. 12, for the Third Schedule (w.e.f. 18-9-1957).

^{2.} Subs. by Act 12 of 2015, s. 3, for the existing entry 1 (w.e.f. 29-4-2015).

^{3.} Subs. by Act 30 of 2000, s.17, for entry 2 (w.e.f. 15-11-2000).

^{4.} Entry relating to Bombay omitted by Act 11 of 1960, s. 21 (w.e.f. 1-5-1960).

^{5.} Entry 4 renumbered as entry 3 by s. 21, *ibid*. (w.e.f. 1-5-1960).

^{6.} Omitted by Act 40 of 1986, s. 5 (w.e.f. 1-11-1986).

^{7.} Ins. by Act 11 of 1960, s. 21 (w.e.f. 1-5-1960).

^{8.} Subs. by Act 31 of 1987, s. 2, for entry 6 (w.e.f. 8-9-1987).

^{9.} Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Schedule, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).

^{10.} Omitted by Act 46 of 1969, s. 5 (w.e.f. 7-1-1970).

^{11.} Ins. by Act 16 of 2010, s. 4 (w.e.f. 18-5-2010).

^{12.} Ins. by Act 6 of 2014, s. 17 (w.e.f. 2-6-2014).

^{13.} Subs. by Act 29 of 2000, s.18, for entry 8 (w.e.f. 9-11-2000).

THE FOURTH SCHEDULE

[See section 27(2)]

Local authorities for purposes of elections to Legislative Councils

¹[ANDHRA PRADESH

1.	N.	Iunicipal	Corp	orations
----	----	-----------	------	----------

- 2. Municipalities.
- 3. Nagar Panchayats.
- 4. Cantonment Boards.
- 5. Zila Praja Parishads.
- 6. Mandal Praja Parishads.]

²[BIHAR

- 1. Nagar Parishads.
- 2. Cantonment Boards.
- Nagar Panchayats. 3.
- Zila Parishads.
- 5. Panchayat Samitis.
- 6. Nagar Nigams (Corporations).
- 7. Gram Panchayats.]

³[MADHYA PRADESH

- ⁴[1. Municipalities.
- 2. Janapada Sabhas.
- 3. Mandal Panchayats.
- 4. Cantonment Boards.
- 5. Notified Area Committees.
- 6. Town Area Committees.]]

5****

⁶[MAHARASHTRA

- ⁷[1. Municipalities.
- 2. Cantonment Boards.

4. Zilla Parishad.]]

1. Ins. by Act 1 of 2006, s. 4(b) (w.e.f. 11-1-2006).

^{2.} Subs. by Act 6 of 2003, s. 2, for "BIHAR" (w.e.f. 6-1-2003).

^{3.} Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

^{4.} Subs. by Act 37 of 1957, s. 12 (c) (iii), for the existing entries (w.e.f. 1-11-1956).
5. The heading "TAMIL NADU" and the entries relating thereto omitted by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986, s. 5 (w.e.f. 1-11-1986).

^{6.} Ins. by Act 40 of 1961, s. 6 (w.e.f. 20-9-1961).

^{7.} Subs. by Act 2 of 1963, s. 2, for the existing entries (w.e.f. 25-1-1963).

^{8.} Omitted by Act 21 of 1989, s. 5 (w.e.f. 22-5-1989).

¹[KARNATAKA]

- ²[1. City Municipal Corporations.
- 2. City Municipal Councils.
- 3. Town Municipal Councils.
- 4. Town Panchayats.
- 5. Zilla Panchayats.
- 6. Taluk Panchayats.
- 7. Grama Panchayats.
- 8. Cantonment Boards.]]

⁴[TAMIL NADU

- 1. Municipalities, as referred to in article 243Q of the Constitution.
- 2. Panchayat Councils.
- 3. Cantonment Boards.
- 4. District Panchayats referred to in the Tamil Nadu Panchayat Act, 1994 (Tamil Nadu Act 21 of 1994).]

⁵[TELANGANA

- 1. Municipal Corporations.
- 2. Municipalities.
- 3. Nagar Panchayats.
- 4. Cantonment Boards.
- 5. Zila Praja Parishads.
- 6. Mandal Praja Parishads.]

UTTAR PRADESH

- ⁶[1. Municipal Corporations.
- 2. Municipal Councils.
- 3. Zila Panchayats.
- 4. Nagar Panchayats.
- 5. Kshettra Panchayats.
- 6. Cantonment Boards.]

^{1.} Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Schedule, for "MYSORE" (w.e.f. 1-11-1973).

^{2.} Subs. by Act 29 of 1996, s. 2, for the entries 1 to 5 (w.e.f. 13-9-1996).

^{3.} Omitted by Act 46 of 1969, s. 5 (w.e.f. 7-1-1970).

^{4.} Ins. by Act 16 of 2010, s. 4 (w.e.f. 18-5-2010).

^{5.} Ins. by Act 6 of 2014, s. 23 (w.e.f. 2-6-2014).

^{6.} Subs. by Act 29 of 1996, s. 2, for the entries 1 to 6 (w.e.f. 13-9-1996).

^{7.} Omitted by Act 20 of 1969, s. 5 (w.e.f. 11-8-1969).

^{8.} Omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) order, 1956.

[THE FIFTH SCHEDULE.] Omitted by the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), s. 57 and the Second Schedule.

[THE SIXTH SCHEDULE.] Omitted by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 27.

[THE SEVENTH SCHEDULE.] Omitted by s. 27, ibid.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम संख्यांक 43)

[12 मई, 1950]

लोक सभा और राज्यों के विधान-मण्डलों में स्थानों के आबंटन और उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों से मतदाताओं की अर्हताओं, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, ¹[राज्य सभा में ²[संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को भरने की रीति] और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

भाग 1

प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कहा जा सकेगा।
- 2. परिभाषाएं—-³*** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;
- (ख) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" से राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ ⁴[विधि द्वारा] उपबन्धित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;
- (ग) ''परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र'' से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ ⁵[विधि द्वारा] उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

6* * * * * *

- (घ) "निर्वाचन-आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;
- (ङ) "आदेश" से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है :
- (च) ''संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र'' से लोकसभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ ⁷[विधि द्वारा] उपबन्धित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

8* * * * * *

- (छ) "व्यक्ति" के अंतर्गत व्यक्तियों का निकाय नहीं आता है ;
- (ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- 9[(झ) "राज्य" के अंतर्गत कोई भी संघ राज्यक्षेत्र आता है ;]
- (ञ) "राज्य सरकार" से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

^{। 1950} के अधिनियम सं० 73 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

² विधि अनकलन (सं० 2) आदेश. 1956 द्वारा "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा "(1)" कोष्ठकों और अंक का लोप किया गया ।

^{4 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा "धारा 9 के अधीन किए गए आदेश द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[ं] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "धारा 11 के अधीन किए गए आदेश द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित खण्ड (गग) का 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा लोप किया गया ।

⁷ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा "धारा 6 के द्वारा या उसके अधीन किए गए आदेश द्वारा" *के* स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁸ 1951 के अधिनियम सं० 67 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (चच) का पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) लोप किया गया ।

⁹ पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (21-1-1972 से) पहले के खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* * * * * * *

भाग 2

स्थानों का आबंटन और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

लोक सभा

²[**3. लोक सभा में स्थानों का आबंटन**—लोक सभा में राज्यों को स्थानों का आबंटन और हर एक राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या वह होगी जो प्रथम अनुसूची में दर्शित है।

4. लोक सभा में स्थानों का भरा जाना और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र— 3*

- ⁴[(2) राज्यों को धारा 3 के अधीन आबंटन में मिले लोक सभा में के सभी स्थान ऐसे स्थान होंगे जो राज्यों में के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे।]
 - (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा।
 - (4) हर राज्य, जिसको धारा 3 के अधीन आबंटन में केवल एक स्थान मिला है, एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा।
- ⁵[(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो ।]
 - **5. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।]**—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 4 द्वारा निरसित ।
 - 6. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन ।]—विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित ।

राज्य विधान सभाएं

⁶[7. विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र— (1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान सभा में ⁷[⁸[उपधारा (1क), उपधारा (1ख) और उपधारा (1ग)] के उपबंधों के अधीन उन स्थानों की कुल संख्या] जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे तथा उन स्थानों की, यदि कोई हों, जो राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जानी है, संख्या वह होगी जो उस अनुसूची में दर्शित है:

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैण्ड के राज्य की विधान सभा को आबंटित स्थानों की कुल संख्या ⁹[बावन] होगी, जिनमें से—

- (क) ¹⁰[बारह स्थान] टयूनसांग जिले को आबंटित किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से ऐसी रीति में, जैसी राज्यपाल उस परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, चुने जाएं, तथा
- (ख) शेष चालीस स्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे जो शेष राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्र में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।

¹¹[(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 8) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है उन स्थानों की कुल संख्या जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, बत्तीस होगी जिसमें से—-

(क) बारह स्थान भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित होंगे;

[ा] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया।

 $^{^2}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 3 और धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^3}$ 1975 के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) उपधारा (1) का लोप किया गया ।

^{4 1975} के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{5}}$ 2008 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 द्वारा (16-4-2008 से) उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 4 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 5 और विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा मूल धाराएं 8 और 9 क्रमशः निरसित की गई थीं ।

 $^{^{7}}$ 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{8}}$ 1992 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा $\,$ (5-12-1992 से) "उपधारा (1क) और (1ख)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁹ 1968 के अधिनियम सं० 61 की धारा 4 द्वारा "छियालीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{10}}$ 1968 के अधिनियम सं० 61 की धारा 4 द्वारा "छह स्थानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{11}}$ 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) अंतःस्थापित ।

- (ख) दो स्थान उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे; और
- (ग) एक स्थान धारा 25क में निर्दिष्ट संघा के लिए आरक्षित होगा।

स्पष्टीकरण—-इस उपधारा में "भूटिया" के अंतर्गत चुम्बिपा, डोप्थापा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा और योल्मो भी हैं।]

 1 [(1ख) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाओं में, जो लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 40) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है—

- (क) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए ²[उनसठ स्थान] आरक्षित होंगे;
- (ख) मेघालय राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए पचपन स्थान आरक्षित होंगे ;
- (ग) मिजोरम राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनतालीस स्थान आरक्षित होंगे; और
- (घ) नागालैण्ड राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनसठ स्थान आरक्षित होंगे।]

³[(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 38) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए बीस स्थान आरक्षित होंगे।]

- (2) 4 उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट हर सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा।
- ⁵[(3) अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10खं के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो।]

⁶[**7क. सिक्किम की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और सभा निर्वाचन-क्षेत्र**—(1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में जो [संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के अधीन उस राज्य की सम्यक् रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है] सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 32 होगी।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा।
- (3) इस प्रकार सम्यक् रूप से गठित समझी गई विधान सभा में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और स्थानों का आरक्षण वैसा ही होगा जैसा कि संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उपबंधित था ।]

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश

- 8. परिसीमन आदेशों का समेकन— 7 [(1) अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मिणपुर और नागालैंड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए और राजपत्र में प्रकाशित समस्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग.—
 - (क) किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को परिवर्तित किए बिना, ऐसे संशोधन करने के पश्चात् जो ऐसे आदेशों में दिए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन को अद्यतन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ;
 - (ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क और झारखंड राज्य की संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेशों के अनुसरण में लागू किए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए,

¹ 1987 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा (22-9-1987 से) अंतःस्थापित।

 $^{^{2}}$ 2008 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा (16-4-2008 से) "उनतालीस स्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1992 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंतःस्थापित।

 $^{^4}$ 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) "उपधारा (1) में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{े 2008} के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{6}}$ 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अंतःस्थापित ।

 $^{^7}$ 2008 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा (16-4-2008 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

ऐसे सभी आदेशों को एकल आदेश में समेकित करेगा, जो संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के नाम से ज्ञात होगा और उस आदेश की अधिप्रमाणित प्रतियां, केंद्रीय सरकार को और ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार को, जिसमें विधान सभा हो, भेजेगा; और तदुपरि वह आदेश धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी आदेशों को अधिष्ठित करेगा और विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

- (2) उक्त आदेश के केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वह सरकार उसको, यथास्थिति, लोक सभा के समक्ष या राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।
- ¹[(3) धारा 4 की उपधारा (5) में, या यथास्थिति, धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेशों का उपधारा (1) के अधीन समेकन, ²[परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उपधारा (5) में उपबंधित रूप में,] किसी ऐसे आदेश या किन्हीं ऐसे आदेशों के, जो सुसंगत हों, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान लोक सभा में या राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व को और प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगा।]
- ³[8क. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) यदि राष्ट्रपित का यह समाधान हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्य में विद्यमान स्थिति और दशाएं परिसीमन की कार्यवाही करने के लिए अनुकूल हैं तो वह उस राज्य के संबंध में परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क के उपबंधों के अधीन जारी आस्थगन आदेश को, आदेश द्वारा विखंडित कर सकेंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में परिसीमन की कार्यवाही किए जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे।
- (2) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा.—
 - (क) उन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें किसी ऐसे राज्य को, जिसे प्रथम अनुसूची में एक से अधिक स्थान आबंटित किए गए हैं, विभाजित किया जाएगा ;
 - (ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का; और
 - (ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, यदि कोई है,

अवधारण कर सकेगा।

- (3) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा,—
 - (क) ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें ऐसे राज्य को, उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा ;
 - (ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का : और
 - (ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का, यदि कोई है,

अवधारण कर सकेगा।

- (4) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयोग, संविधान के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हैं, आरक्षित होंगे, का अवधारण करेगा।
 - (5) निर्वाचन आयोग,—
 - (क) किसी राज्य के संबंध में, उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन अपने प्रस्तावों का प्रकाशन राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति में भी जिसे वह ठीक समझे, करेगा ;
 - (ख) उस तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा :
 - (ग) सभी आक्षेपों और सुझावों पर, विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हुए हों ;

^{। 1976} के अधिनियम सं० 88 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

 $^{^{2}}$ 2008 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 2008 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

- (घ) ऐसे विचार के प्रयोजन के लिए, यदि ऐसा करना ठीक समझे, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें ऐसे राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, करेगा :
- (ङ) ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का, और उस निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करेगा जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हों, आरक्षित रहेंगे और ऐसे आदेश राजपत्र में प्रकाशित कराएगा तथा ऐसे प्रकाशन पर आदेश, विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।
- (6) उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
- (7) उपधारा (1) और उपधारा (3) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उस उपधारा के अधीन प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।]
- **9. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति**—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संपृक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—
 - ¹[(क) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें उद्भूत किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा ;
 - (कक) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे उसे इस अधिनियम की धारा 8क के या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में, (जिसके अन्तर्गत ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी है) जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उक्त आदेश के साथ समेकित करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ;]
 - (ख) वहां, जहां कि उस आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी क्षेत्रीय खंड की सीमाएं या नाम परिवर्तित कर दी जाती हैं या कर दिया जाता है, ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
 - ²[(ग) संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, 31 जुलाई, 2015 से भारत की एक सौ ग्यारह बस्तियों और बंग्लादेश की इक्यावन बस्तियों के आदान-प्रदान के परिमाणस्वरूप, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो सुसंगत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके तथा उसमें से सुसंगत क्षेत्रों को अपवर्जित करके आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
- (2) इस धारा के अधीन हर अधिसूचना अपने निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लोक सभा के तथा संपृक्त राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

3* * * * * * * *

राज्य विधान परिषदें

- **10. विधान परिषदों में के स्थानों का आबंटन**—(1) उन राज्यों में, जिनमें विधान परिषदें हैं, ऐसी परिषदों में के स्थानों का आबंटन ऐसा होगा जैसा तृतीय अनुसूची में दर्शित है।
- (2) तृतीय अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान परिषद् में स्थानों की संख्या वह होगी जो उसके द्वितीय स्तम्भ में उस राज्य के सामने विनिर्दिष्ट है और उन स्थानों में से—-
 - (क) तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तम्भों में विनिर्दिष्ट संख्याएं उन स्थानों की संख्याएं होंगी जो अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट निर्वाचक मंडलों द्वारा क्रमशः निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं;
 - (ख) षष्ठ स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं जो उस सभा के सदस्य नहीं हैं : तथा

 $^{^{1}\,2008}$ के अधिनियम सं० 10 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{2}\,2016}$ के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

 $^{^3}$ 2008 के अधिनियम सं० 10 की धारा 7 द्वारा (16-4-2008 से) धारा 9क और 9ख का लोप किया गया ।

(ग) सप्तम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो राज्य के राज्यपाल ¹*** द्वारा अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं।

2* * * * * * * *

- 11. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राष्ट्रपति—
- (क) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें हर एक राज्य जिसमें विधान परिषद् है, उस परिषद् के लिए अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में से हर एक के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभक्त किया जाएगा;
 - (ख) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को; तथा
 - (ग) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटन में मिले स्थानों की संख्या को,

आदेश द्वारा अवधारित करेगा।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में उपबंध

- 12. आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति—- 3 [(1)] राष्ट्रपति 4*** धारा 11 के अधीन अपने द्वारा किए गए आदेश को निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा समय-समय पर परिवर्तित या संशोधित कर सकेगा।
- ⁵[(2) उपधारा (1) के अधीन के आदेश के किए जाने से अव्यवहित पूर्व जो कोई सदस्य किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस सदस्य का आबंटन उस आदेश द्वारा नए सिरे से परिसीमित या परिवर्तित किसी निर्वाचन-क्षेत्र को किए जाने के लिए और ऐसे अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उपबंध उस आदेश में अन्तर्विष्ट हो सकेंगे।]
 - 13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया—-6* * * *
- (3) 7*** धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे।

⁸[भाग 2क

आफिसर

- **13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर**—(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।
- (2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा ।
- 9 [13कक. जिला निर्वाचन आफिसर—(1) 10*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा :
- परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता ।
- (2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

[ो]विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राजप्रमुख, यथास्थिति" शब्दों का लोप किया गया ।

[े] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित उपधारा (3) का 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा लोप किया गया ।

³ 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा धारा 12 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

^{4 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 7 द्वारा "धारा 6, धारा 9 या" शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।

 $^{^5\,1960}$ के अधिनियम सं०20 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

^{े 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया।

 $^{^7}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।

⁸ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

 $^{^9}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।

 $^{^{10}}$ 2004 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।

- (3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।
- (4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं।
- 13ख. निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण आफिसर—(1) 1 [2 [जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।
- (2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।
- 13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर—(1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा।
- (2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।]
- ³[13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना—इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामाविलयों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अविध में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अविध के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

⁴[13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामाविलयां—(1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामाविलयों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो टयूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं।]]

भाग 3

5[6*** निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

⁷[14. परिभाषाएं— इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; 6***

^{ो 1956} के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^2}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।

 $^{^4}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{ं 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{6}}$ 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा कितपय शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^{7}}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की ¹[1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :]

²[परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

- 15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली—हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।
 - 16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरहिताएं—(1) यदि कोई व्यक्ति—
 - (क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा
 - (ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा
 - (ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट ³*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

4[परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

- 17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए 5*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।
- 18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।
 - ⁶[**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो—
 - (क) अर्हता की तारीख को ⁷[अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा
 - (ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

- **20.** "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ—- 8 [(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।
- (1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।
- (1ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान-मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदाविध के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।]

^{े 2021} के अधिनियम सं० 49 की धारा 2 द्वारा "जनवरी का पहला दिन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1989 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित ।

³ 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया ।

^{4 1950} के अधिनियम सं० 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

^{ీ 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया ।

 $^{^{6}}$ 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^7}$ 1989 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^8}$ 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

- (2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में, कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामुली तौर से निवासी है।
- ¹[(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता ।]
- (4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित² कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू हैं 3*** उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को 4*** उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण 5*** न किए होता तो वह, उस तारीख को 6*** मामूली तौर से निवासी होता।
- (5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि ⁷[यदि मेरी सेवा अर्हता] न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण ⁸*** न किए होता। जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को ⁹*** मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह ⁷[स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है]।
- (6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति ¹⁰*** ¹¹[का पति या पत्नी], जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से ¹²*** निवास ¹¹[करता/करती हो, तो ऐसे पति या पत्नी] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।
- ¹³[(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।]
 - (8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता से"—
 - (क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा
 - (ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा
 - (ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा
 - (घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है,

अभिप्रेत है।

। 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{2}\,}$ राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पदों को अधिसूचना सं० का०आ० 959, तारीख 18 अप्रैल, 1960 द्वारा घोषित किया गया :—

⁽¹⁾ भारत का राष्ट्रपति ।

⁽²⁾ भारत का उपराष्ट्रपति ।

⁽³⁾ राज्यों के राज्यपाल ।

⁽⁴⁾ संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री ।

⁽⁵⁾ योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य।

⁽⁶⁾ संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री।

⁽⁷⁾ संघ या किसी राज्य के उप मंत्री ।

⁽⁸⁾ लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष ।

⁽⁹⁾ किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति ।

⁽¹⁰⁾ संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल।

⁽¹¹⁾ लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष ।

⁽¹²⁾ राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उप सभापति ।

⁽¹³⁾ संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव।

 $^{^3}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कितपय शब्दों का लोप किया गया।

 $^{^4}$ $\,1956$ के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा "िकसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^{5}}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) " या नियोजन" शब्दों का लोप किया गया।

^{ि 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^{7}}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{8}}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कितपय शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^{9}}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा "िकसी कालाविध के दौरान या" शब्दों का लोप िकया गया ।

 $^{^{10}}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा "िकसी कालाविध के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^{11}}$ 2021 के अधिनियम सं० 49 की धारा 3 द्वारा "की पत्नी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{12}}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

¹³ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित उपधारा (7) का 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया था ।

¹[**20क. भारत से बाहर निवास कर रहे भारत के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध**—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक,—

- (क) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है ;
- (ख) जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है : और
- (ग) जो भारत में अपने मामूली निवास-स्थान से, अपने नियोजन, शिक्षा या अन्यथा भारत से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहा है (चाहे अस्थायी रूप से है या नहीं),

ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार होगा ।

- (2) वह समय, जिसके भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उपधारा (1) के अधीन निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।
- (3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अन्यथा पात्र है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले किसी निर्वाचन में मतदान करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।]
- ²[21. निर्वाचक नामाविलयों की तैयारी और पुनरीक्षण—(1) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामाविली अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से और विहित रीति में तैयार की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने अंतिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगी।
 - 3[(2) उक्त निर्वाचक नामावली का—
 - (क) विहित रीति में पुनरीक्षण तब के सिवाय जब कि उन कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे—-
 - (i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले, तथा
 - (ii) निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उपनिर्वाचन से पहले,

अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा; तथा

(ख) विहित रीति में किसी वर्ष में पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है :

परन्तु यदि निर्वाचक नामावली का यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण न किया गया हो तो उससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधिमान्यता या निरन्तर प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निदेश, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी भी समय दे सकेगा :

परन्तु उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपने उस रूप में, जिसमें वह किसी ऐसे निर्देश के निकाले जाने के समय प्रवृत्त है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक ऐसे निर्दिष्ट किया गया विशेष पुनरीक्षण समाप्त न हो जाए।

- ⁴[22. निर्वाचक नामाविलयों में की प्रविष्टियों की शुद्धि—यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, हो जाता है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि—-
 - (क) किसी विशिष्टि में गलत है या त्रटिपूर्ण है,
 - (ख) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति ने उस निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर अपना मामूली निवास-स्थान बदल दिया है नामावली में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए, अथवा
 - (ग) इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति मर गया है या उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, निकाल दी जानी चाहिए,

 $^{^{1}\,2010}$ के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

 $^{^{2}}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 15 द्वारा धारा 21 से धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^3}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 9 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^4}$ 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 9 द्वारा धारा 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, ऐसे किन्हीं साधारण या विशेष निर्देशों के, यदि कोई हों, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अध्यधीन रहते हुए ¹[तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस प्रविष्टि को संशोधित कर सकेगा, अन्यत्र रख सकेगा या निकाल सकेगा :

परन्तु खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाही या खंड (ग) के अधीन इस आधार पर कि सम्पृक्त व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है कोई कार्यवाही करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर सम्पृक्त व्यक्ति को ¹[तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] उस व्यक्ति के संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।]

- ²[23. निर्वाचक नामाविलयों में नामों का सम्मिलित किया जाना—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र नामावली में सम्मिलित नहीं है, उस नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को आवेदन कर सकेगा।
- (2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है तो ³[तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चात्] वह यह निदेश देगा कि उसका नाम उसमें सम्मिलित किया जाए :

परन्तु यदि आवेदक किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को इत्तिला देगा और वह आफिसर ऐसी इत्तिला प्राप्त होने पर ³[तथ्यों का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, समुचित सत्यापन करने के पश्चातु] उस नामावली में से आवेदक के नाम को काट देगा।

- (3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें वह निर्वाचन-क्षेत्र समाविष्ट है, निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति से पूर्व धारा 22 के अधीन कोई भी प्रविष्टि न तो संशोधित की जाएगी, न अन्यत्र रखी जाएगी और न निकाली जाएगी और न इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने के लिए कोई निर्देश ही दिया जाएगा।
- ⁴[(4) निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के उपबंधों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दी गई आधार संख्या प्रस्तुत करें:

परंतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली में प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रोंया उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में उसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण की पहचान करने के लिए निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित व्यक्तियों की आधार संख्या की अपेक्षा भी कर सकेगा।

- (5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, में जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वाराराजपत्र में अधिसूचित तारीख को या उसे पूर्व अपनी आधार संख्या ससूचित कर सकेगा।
- (6) निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए किसी आवेदन से इंकार नहीं किया जाएगा औश्र निर्वाचक नामावली में किन्हीं प्रविष्टियों का किसी व्यष्टि द्वारा ऐसे पर्याप्त कारण से, जो विहित किया जाए, आधार संख्या प्रस्तुत करने या संसूचित करने में असमर्थता के कारण लोप नहीं किया जाएगा :

परंतु ऐसे व्यष्टि को ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आधार संख्या" का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रस्विधाओं और सेवाओं की लक्ष्ियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।

⁵[24. अपीलें—-यथाविहित समय के अन्दर और रीति में, अपील—

(क) किसी ऐसे आदेश के खिलाफ जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ने धारा 22 या धारा 23 के अधीन किया है, ⁶[जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी] को होगी : ⁷***

¹ 2010 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

 $^{^{2}}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 10 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 2010 के अधिनियम सं० 36 की धारा 4 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित।

⁴ 2021 के अधिनियम सं० 49 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित।

⁵ 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित । धारा 24 का, 1956 के अधिनियम सं० 60 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापन और 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया था।

⁶ 2009 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (1-2-2010 से) प्रतिस्थापित ।

 $^{^7}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 11 द्वारा (14-12-1966 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।

 1 [(ख) खंड (क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आफिसर को होगी।]

25. आवेदनों और अपीलों के लिए फीस—धारा 22 या धारा 23 के अधीन हर आवेदन और धारा 24 के अधीन हर अपील के साथ विहित फीस होगी जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी।]]

²[25क. सिक्किम के संघ निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की शर्तें—धारा 15 और 19 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य में संघ निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, मठों के केवल वे संघ, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार होंगे, जिन्हें सिक्किम की सभा बनाने के लिए अप्रैल, 1974 में सिक्किम में किए गए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई थी और उक्त निर्वाचक नामावली को, धारा 21 से 25 तक की धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा या पुनरीक्षित किया जाएगा, जो सिक्किम सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्दिष्ट की जाए।]

¹ खंड (ख), जिसका 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 11 द्वारा (14-12-1966 से) लोप किया गया था और 2009 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (1-2-2010 से) अंतःस्थापित ।

 $^{^{2}}$ 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अंतःस्थापित ।

भाग 4

1[परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

- **26.** [सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामाविलयों की तैयारी ।]—-(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 17 द्वारा निरसित ।
- 27. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामाविलयों की तैयारी—-(1) धारा में 'स्थानीय प्राधिकारी'', "निर्वाचन-क्षेत्र'', "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र'' और "शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र'' से विधान परिषद् के लिए अनुच्छेद 171 के खंड 3 के क्रमशः उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है।
 - 2 [(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए-
 - (क) निर्वाचक मंडल उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर के किसी स्थान या क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे उस राज्य के संबंध में चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं,
 - (ख) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर के हर एक ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का हर सदस्य उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा,
 - (ग) हर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अद्यतन शोधित करके विहित रीति और प्ररूप में अपने कार्यालय में बनाए रखेगा,
 - (घ) निर्वाचक नामावली को अद्यतन शोधित करके बनाए रखने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को समर्थ बनाने के लिए हर स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक आफिसर (चाहे ऐसा आफिसर किसी भी पदाभिधान से ज्ञात क्यों न हो) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को उस स्थानीय प्राधिकारी की सदस्यता में के हर परिवर्तन की बाबत तुरन्त इत्तिला देगा, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस इत्तिला के प्राप्त होने पर, निर्वाचक नामावली से उन व्यक्तियों के नाम काट देगा जो उस स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य नहीं रहे और उन व्यक्तियों के नाम उसमें सम्मिलित कर लेगा जो उस स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य हो गए हैं, तथा
 - (ङ) धारा 15, 16, 18, 22 और 23 के उपबंध स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं।]
- (3) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों में किसी राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए सम्पुक्त राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग की सहमति से, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—
 - (क) वे अर्हताएं, जो भारत के राज्यक्षेत्र में के विश्वविद्यालय के स्नातक के समतुल्य समझी जाएंगी, तथा
 - (ख) राज्य के भीतर की वे शैक्षणिक संस्थाएं, जो माध्यमिक विद्यालय के स्तर से नीचे की नहीं हैं, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- ³[(4) धारा 15, 16, 18, 21, 22 और 23 के उपबंध स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं।]
 - (5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि—-

⁵[(क)] हर व्यक्ति, जो किसी स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी ⁶[है] और ⁷[अर्हता की तारीख से पहले] कम से कम तीन वर्ष तक या तो भारत के राज्यक्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय का स्नातक था या सम्पृक्त राज्य सरकार द्वारा उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता था, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा, तथा

 8 [(ख)] हर व्यक्ति, जो किसी शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी 6 [है] और 7 [अर्हता की तारीख से अव्यवहित पूर्व] छह वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष की कुल कालाविध के लिए सम्पृक्त राज्य सरकार द्वारा उपधारा (3) के

 $^{^{1}}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 16 द्वारा पूर्ववर्ती शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{े 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 18 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 18 द्वारा उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 $^{^4}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 18 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया।

^{ं 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 18 द्वारा खंड (ख) को खंड (क) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

⁶ 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) "अर्हता की तारीख को था" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^7}$ 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) "उस तारीख से पहले" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁸ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 18 द्वारा खंड (ग) को खंड (ख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में से किसी में शिक्षा देने में लगा रहा हो, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।

¹[(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए अर्हता की तारीख उस वर्ष के नवम्बर के पहले दिन की तारीख होगी जिसमें निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण प्रारम्भ किए जाएं ।]

²[भाग 4क

³[संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति

27क. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचकगणों का गठन— (1) किसी 3 [संघ राज्यक्षेत्र] 4*** को संविधान की चतुर्थ अनुसूची में आबंटन में मिले राज्य सभा के 5 [किसी स्थान या किन्हीं स्थानों को भरने के प्रयोजन के] लिए 6 [हर एक ऐसे राज्यक्षेत्र] 7*** के लिए एक निर्वाचकगण होगा।

8*	*	*	*	*	*	*
9*	*	*	*	*	*	*

¹º[(3) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण उस राज्यक्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) के अधीन गठित विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा।]

 11 [(4) 12 [$^{13}***$ पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण] उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के अधीन उस राज्यक्षेत्र के लिए गठित की गई हो ।]

राज्य संशोधन										
15*	*	*	*	*	*	*				
14*	*	*	*	*	*	*				

जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र:---

धारा 27क—उपधारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के अधीन उस राज्यक्षेत्र के लिए गठित की गई हो।"

[जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 अधिसूचना सं.का.आ. 1123 (अ) तारीख 18-03-2020 के पैरा 3 अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित।]

27ख. [निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र।]—-क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) द्वारा निरसित।

27ग. [निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 65 द्वारा निरसित।

27घ. [आदेश का परिवर्तन और संशोधन करने की शक्ति।]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 65 द्वारा निरसित।

27ङ. [निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित आदेशों की प्रक्रिया।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 21 द्वारा निरसित।

 $^{^{1}}$ 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा (20-9-1961 से) उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 8 द्वारा भाग 4क अन्तःस्थापित ।

³ विधि अनुकुलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या ऐसे राज्यों का समृह" शब्दों का लोप किया गया।

र्व 1975 के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) प्रतिस्थापित ।

 $^{^{6}}$ 1975 के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा $^{\circ}$ ऐसा प्रत्येक राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 19 द्वारा "या राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^8}$ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 19 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

⁹ 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया।

 $^{^{10}}$ 1992 के अधिनियम सं० 1 की धारा 55 द्वारा (2-10-1993 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{ा 1963} के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹² 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 7 द्वारा (20-2-1987 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{13}}$ 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 7 द्वारा (20-2-1987 सं) "मिजोरम" शब्द का लोप किया गया ।

^{14 1975} के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) उपधारा (5) का लोप किया गया।

 $^{^{15}}$ 1954 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा उपधारा (6) का लोप किया गया ।

27च. [राज्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली।]—-लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 22 द्वारा निरसित।

27छ. कितपय निरर्हताओं के लिए निर्वाचकगण की सदस्यता का पर्यवसान—यदि वह व्यक्ति, जो किसी निर्वाचकगण का सदस्य है, संसद् की सदस्यता के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन ऐसी किसी विधि के उपबंधों के अधीन हो जाए जो संसद् के निर्वाचनों में सम्बद्ध भ्रष्ट और अवैध आचरणों और अन्य धाराओं के संबंध में है तो वह ऐसा होने पर उस राज्य निर्वाचकगण का सदस्य नहीं रह जाएगा।

27ज. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति—-किसी ¹[संघ राज्यक्षेत्र] ²*** को संविधान की ³*** चतुर्थ अनुसूची में आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को ⁴[उस राज्यक्षेत्र] ⁵*** के लिए निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति या व्यक्तियों से भरा जाएगा :

⁶[परन्तु जो व्यक्ति संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1953 के प्रारम्भ के अव्यवहितपूर्व मणिपुर और त्रिपुरा के भाग ग राज्यों को आबंटन में मिले स्थान को धारण किए हुए है उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह त्रिपुरा के संघ राज्यक्षेत्रों के आबंटन में मिले स्थान को ऐसे प्रारम्भ से ही भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।]

27झ. [राज्य सभा के लिए अजमेर और कुर्ग राज्यों और मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के स्थान भरने के लिए विशेष उपबंध।]—विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित।

27ञ. निर्वाचकगणों में रिक्तियां होते हुए भी उनका निर्वाचन करने की शक्ति—-किसी निर्वाचकगण ⁷*** के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी निर्वाचन ऐसे गण की सदस्यता में किसी रिक्ति के विद्यमान होने के आधार पर ही प्रश्नगत न किया जाएगा।

27ट. [कुछ राज्यों के लिए जिनके लिए विधान सभाएं बनाई गई हैं, निर्वाचकगण।]—-विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित।

भाग 5

साधारण

- **28. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—
 - 8 [(क) मामूली तौर से निवास की धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन अवधारण ;
 - (कक) निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ;]
 - (ख) निर्वाचक नामावलियों ⁹*** का प्रारंभिक प्रकाशन :
 - (ग) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर निर्वाचक नामाविलयों में की प्रविष्टियों की बाबत दावे और आक्षेप किए जा सकेंगे :

- (ङ) वह रीति जिसमें दावों या आक्षेपों की सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी ;
- (च) वह स्थान, तारीख और समय, जिसमें या जिस पर दावे या आक्षेप सुने जांएगे और वह रीति जिसमें दावे या आक्षेप सुने और निपटाए जाएंगे ;
 - (छ) निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन ;

[ो] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।

³ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

⁴ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "ऐसा राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{े 1956} के अधिनियम सं० 2 की धारा 23 द्वारा "या राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।

⁶ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁷ 1951 के अधिनियम सं० 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^{8}}$ 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 12 द्वारा (14-12-1966 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁹ 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 9 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

 $^{^{10}}$ 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया ।

ं[(ज) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और शुद्धि तथा उनके अंदर नामों को सम्मिलित करना ;]

ो 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 24 द्वारा खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[(जज) धारा 22 के अधीन निर्वाचक नामाविलयों में किसी प्रविष्टि का संशोधन करने, उसे अन्यत्र रखने या लोप करने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया ;

(जजज) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचक नामाविलयों में नामों को सम्मिलित करने या काटने के लिए तथ्यों के समुचित सत्यापन की प्रक्रिया ;]

- (झ) कोई भी ऐसी अन्य बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है।
- ²[(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अविध के लिए रखा जाएगा। यह अविध एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ³[**29. स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृंद का उपलब्ध किया जाना**—राज्य में का हर स्थानीय प्राधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचक आफिसर द्वारा ऐसे अपेक्षित किए जाने पर किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को ऐसा कर्मचारिवृंद उपलब्ध करेगा जैसा निर्वाचक नामाविलयों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो ।]

30. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित—िकसी भी सिविल न्यायालय को—

- (क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है या नहीं ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की, अथवा
- (ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन की गई किसी कार्यवाही की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की.

अधिकारिता न होगी।

⁴[5[**31. मिथ्या घोषणाएं करना**—यदि कोई व्यक्ति—

- (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा
- (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।
- 32. निर्वाचक नामाविलयों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग—(1) यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सिम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह ⁶[कारावास से, जिसकी अविध तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से] दंडनीय होगा।
- (2) पूर्वोक्त जैसे किसी कार्य या कार्यलोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के खिलाफ न होगी।
- (3) जब तक कि निर्वाचन आयोग या सम्पृक्त राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन परिवाद न किया गया हो, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान न करेगा ।]

 $^{^{1}}$ 2010 के अधिनियम सं० 36 की धारा 5 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

 $^{^{2}}$ 1976 के अधिनियम सं० 88 की धारा 6 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 25 द्वारा धारा 29 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{4 1958} के अधिनियम सं० 58 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

 $^{^5}$ 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा धारा 31 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{6}}$ 1996 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा (1-8-1996 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[प्रथम अनुसूची (धारा 3 देखिए)

लोक सभा में स्थानों का आबंटन

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम				आदेश	आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् यथा गठित सदन		
		कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
	1	2	3	4	5	6	7
	I. राज्य						
$^{2}[1.$	आन्ध्र प्रदेश	42	6	2	25	4	1]
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	-	-	2	-	-
3.	असम	14	1	2	14	1	2
4.	बिहार	40	7	-	40	6	-
5.	छत्तीसगढ़	11	2	4	11	1	4
6.	गोवा	2	-	-	2	-	-
7.	गुजरात	26	2	4	26	2	4
8.	हरियाणा	10	2	-	10	2	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1	-	4	1	-
10.	जम्मू-कश्मीर	6	-	-	6	-	-
11.	झारखंड	14	1	5	14	1	5
12.	कर्नाटक	28	4	-	28	5	2
13.	केरल	20	2	-	20	2	-
14.	मध्य प्रदेश	29	4	5	29	4	6
15.	महाराष्ट्र	48	3	4	48	5	4
16.	मणिपुर	2	-	1	2	-	1
17.	मेघालय	2	-	-	2	-	2
18.	मिजोरम	1	-	1	1	-	1
19.	नागालैंड	1	-	-	1	-	-
20.	³ [ओडिशा]	21	3	5	21	3	5
21.	पंजाब	13	3	-	13	4	-
22.	राजस्थान	25	4	3	25	4	3
23.	सिक्किम	1	-	-	1	-	-
24.	तमिलनाडु	39	7	-	39	7	-
⁴ [25.	तेलंगाना	_	_	<u>-</u>	17	3	2]

^{े 2008} के अधिनियम सं० 10 की धारा 8 द्वारा (16-4-2008 से) प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित। े 2014 के अधिनियम सं० 6 की धारा 14 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित। े 2011 के अधिनियम सं० 11 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित। े 2014 के अधिनियम सं० 6 की धारा 14 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित।

1	2	3	4	5	6	7
¹ [26.] त्रिपुरा	2	-	1	2	-	1
¹ [27.] उत्तराखंड	5	-	-	5	1	-
¹ [28.] उत्तर प्रदेश	80	18	-	80	17	-
$^{1}[29.]$ पश्चिमी बंगाल	42	8	2	42	10	2
II. संघ राज्यक्षेत्र						
1. अडंमान और निकोबार द्वीप	1	-	-	1	-	-
2. चंडीगढ़	1	-	-	1	-	-
 ²[दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव 		-	1	2	-	1]
4. दिल्ली	7	1	-	7	1	-
$5.$ 2 [दमन और दीव	1	-	-	-	-	-]
6. लक्षद्वीप	1	-	1	1	-	1
7. पुडुचेरी	1	-	-	1	-	-
कुल	543	79	41	543	84	47

द्वितीय अनुसूची

(धारा 7 और धारा 7क देखिए)

विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम		समय-समय पर यथा संशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के आधार पर 2004 में यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या						
		कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	
	1	2	3	4	5	6	7	
	I. राज्य							
³ [1.	आन्ध्र प्रदेश	294	39	15	175	29	7]	
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	-	59	60	-	59	
3.	असम	126	8	16	126	8	16	
4.	बिहार	243	39	-	243	38	2	
5.	छत्तीसगढ़	90	10	34	90	10	29	
6.	गोवा	40	1	-	40	1	-	
7.	गुजरात	182	13	26	182	13	27	
8.	हरियाणा	90	17	-	90	17	-	
9.	हिमाचल प्रदेश	68	16	3	68	17	3	
[4	*	*	*	*	*	*	*]	

 $^{^{1}}$ 2014 के अधिनियम सं० 6 की धारा 14 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 25 से 28 को प्रविष्टि 26 से 29 के रूप में पुनर्संख्याकित किया गया।

 $^{^2}$ 2019 के अधिनियम सं० 44 की धारा $\,6\,$ द्वारा संशोधित ।

 $^{^3\,2014}$ के अधिनियम सं० $\,6\,$ की धारा $\,17\,$ द्वारा प्रतिस्थापित ।

^{*} जम्मू-कश्मीर के संविधान के अधीन उस राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या, पाकिस्तान के कब्जाधीन क्षेत्र के लिए नियत 24 स्थानों का अपजर्वन करके 87 है जिनमें से 7 स्थान जम्मू- कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के अनुसरण में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं । ⁴ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 14 द्वारा (31.10.2019 से) प्रविष्टि 10 को हटाया गया ।

	1	2	3	4	5	6	7
¹ [10.]	 झारखंड	81	9	28	81	9	28
¹ [11.]	कर्नाटक	224	33	2	224	36	15
¹ [12.]	केरल	140	13	1	140	14	2
¹ [13.]	मध्य प्रदेश	230	34	41	230	35	47
¹ [14.]	महाराष्ट्र	288	18	22	288	29	25
¹ [15.]	मणिपुर	60	1	19	60	1	19
¹ [16.]	मेघालय	60	-	55	60	-	55
¹ [17.]	मिजोरम	40	-	39	40	-	² [39]
¹ [18.]	नागालैंड	60	-	59	60	-	59
¹ [19.]	³[ओडिशा]	147	22	34	147	24	33
¹ [20.]	पंजाब	117	29	-	117	34	-
¹ [21.]	राजस्थान	200	33	24	200	34	25
¹ [22.]	सिक्किम	32	2	12**	32	2	12**
¹ [23.]	तमिलनाडु	234	42	3	234	44	2
¹ [24.]	तेलंगाना	-	-	-	119	19	12]
⁴ [¹ [25.]]	त्रिपुरा	60	7	20	60	10	20
⁴ [¹ [26.]]	उत्तराखंड	70	12	3	70	13	2
⁴ [¹ [27.]]	उत्तर प्रदेश	403	89	-	403	85	-
⁴ [¹ [28.]]	पश्चिमी बंगाल	294	59	17	294	68	16
II. संघ	राज्यक्षेत्र						
1. [देल्ली	70	13	-	70	12	-
2. y	डुचेरी	30	5	-	30	5	-]
⁵ [3. 3	ाम्मू-कश्मीर	83	6	-	83	6]

^{**} संघा के लिए एक स्थान और भूटिया लेप्चा-मूल के सिक्किमियों के लिए 12 स्थान आरक्षित ।

 $^{^{1}}$ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 14 द्वारा (31.10.2019 से) प्रविष्टि 11 से 29 को प्रविष्टि 10 से 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।

 $^{^2\,2009}$ के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा (1-2-2010 से) "38" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^3}$ 2011 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा "उड़ीसा" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^4}$ 2014 के अधिनियम सं० 6 की धारा 17 द्वारा प्रविष्टि 25 से 28 को प्रविष्टि 26 से 29 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।

 $^{^{5}}$ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 14 द्वारा (31.10.2019 से) अंत:स्थापित ।

¹[तृतीय अनुसूची (**धारा 10 देखिए**)

विधान परिषदों में स्थानों का आबंटन

राज्य का नाम	नाम स्थानों की कुल संख्या अनुच्छेद 171 (3) के अधीन निर्वाचित				- ोर्दिष्ट किए जाने वालों की संख्या		
		उपखंड	उपखंड	उपखंड	उपखंड	उपखंड	
		(ক)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	
1	2	3	4	5	6	7	
$^{2}[^{3}[1.आन्ध्र प्रदेश$	58	20	5	5	20	8]	
⁴ [2. बिहार	75	24	6	6	27	12]	
5* *	*	*	*	*	*	*	
⁶ [3]. मध्य प्रदेश	90	31	8	8	31	12	
7* *	*	*	*	*	*	*	
⁸ [5. महाराष्ट्र	78	22	7	7	30	12]	
⁹ [6. ¹⁰ [कर्नाटक]	75	25	7	7	25	11]	
11* *	*	*	*	*	*	*	
¹² [7. तमिलनाडु	78	26	7	7	26	12]	
¹³ [7क. तेलंगाना	40	14	3	3	14	6	
¹⁴ [8. उत्तर प्रदेश	¹⁵ [100]	36	8	8	¹⁴ [38]	10]	
16* *	*	*	*	*	*	*	

 $^{^{1}}$ 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा अनुसूची 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1985 के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा (1-6-1985 से) आन्ध्र प्रदेश संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।

³ 2014 के अधिनियम सं० 6 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ तथा वह अधिनियम 2015 अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा फिर संशोधित होकर उपरोक्त रूप में प्रतिस्थापित किया गया ।

 $^{^4\,2000}$ के अधिनियम सं० 30 की धारा 17 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्ट 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{े 1960} के अधिनियम सं० 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) मुम्बई संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।

 $^{^{6}}$ 1960 के अधिनियम सं० $\,$ 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) पुन:संख्यांकित ।

 $^{^{7}}$ 1986 के अधिनियम सं० 40 की धारा 5 द्वारा (1-11-1986 से) तिमलनाड़ संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।

 $^{^{8}}$ 1960 के अधिनियम सं० 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) अंत:स्थापित ।

 $^{^{9}}$ 1987 के अधिनियम सं० $\,31$ की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁰ मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा ''मैसूर'' के स्थान पर (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित ।

 $^{^{11}}$ 1969 के अधिनियम सं० 46 की धारा 5 द्वारा (7-1-1960 से) पंजाब संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।

^{12 2010} के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा (तारीख अभी अधिसूचित की जानी है) अंत:स्थापित ।

 $^{^{13}}$ 2014 के अधिनियम सं० 6 की धारा 23 द्वारा (1.3.2014 से) अंत:स्थापित।

 $^{^{14}}$ 2000 के अधिनियम सं० 29 की धारा 18 द्वारा (9-11-2000 से) प्रतिस्थापित ।

 $^{^{15}\,2004}$ के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा क्रमश: "99" और "37" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{16}}$ 1969 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा (1-8-1969 से) पश्चिमी बंगाल संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।

चतुर्थ अनुसूची (धारा 27(2) देखिए)

विधान परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी

1*	*	*		*	*	*	*
			² [आन्ध्र प्र	प्रदेश			
1. नगर निगम ।							
2. नगरपालिकाएं	[1						
3. नगर पंचायतें	l						
4. छावनी बोर्ड ।							
5. जिला प्रजा परि	रेषदें ।						
6. मंडल प्रजा पि	रेषदें ।]						
			³ [बिह]	ार			
1. नगर परिषदें ।							
2. छावनी बोर्ड ।							
3. नगर पंचायतें	l						
4. जिला परिषदें	l						
5. पंचायत समिति	तेयां ।						
6. नगर निगम (व	जरपोरेशन)						
7. ग्राम पंचायतें ।]						
4*	*	*		*	*	*	*
			⁵ [मध्य प्र	ादेश			
⁶ [1. नगरपालिका							
2. जनपद संभाएं							
3. मंडल पंचायतें	1						
4. छावनी बोर्ड ।							
5. अधिसूचित क्षेत्र	त्र समितियां ।						
6. नगर क्षेत्र समि -							
7*	*	*		*	*	*	*
			⁸ [महार	ाष्ट्र			
⁹ [1. नगरपालिका	एं ।						
2. छावनी बोर्ड ।							

^{ा 1985} के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा (1-6-1985 से) "आन्ध्र प्रदेश" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

² 2006 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

 $^{^3}$ 2003 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा (6-1-2003 से) "बिहार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^4}$ 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 6 द्वारा (20-9-1961 से) "बंबई" (अर्थात् महाराष्ट्र) शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

⁵ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अंत:स्थापित ।

⁶ 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा पहले की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 40) की धारा 5 द्वारा (1-11-1986 से) "तमिलनाडु" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

 $^{^8}$ 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 6 द्वारा (20-9-1961 से) अंत:स्थापित।

⁹ 1963 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा पहले की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. जिला परिषद् ।]] ²[कर्नाटक] 3[1. शहरी नगर निगम। 2. शहरी नगरपालिका परिषदें। 3. नगरी नगरपालिका परिषदें। 4. नगर पंचायतें। 5. जिला पंचायतें। 6. तालुक पंचायतें। 7. ग्राम पंचायतें। 8. छावनी बोर्ड।] 1. संविधान के अनुच्छेद 243थ में यथानिर्दिष्ट नगरपालिकाएं। 2. पंचायत संघ परिषदें। 3. छावनी बोर्ड। 4. तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 (1994 का तमिलनाडु अधिनियम 21) में निर्दिष्ट जिला पंचायतें।] उत्तर प्रदेश ⁶[1. नगर निगम। 2. नगरपालिका परिषदें। 3. जिला पंचायतें। 4. नगर पंचायतें। 5. क्षेत्र पंचायतें। 6. छावनी बोर्ड।] 7* [पंचम् अनुसूची 1]—-संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा निरसित। [षष्ठम् अनुसूची ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 27 द्वारा निरसित । [सप्तम् अनुसूची ।]—-लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 27 द्वारा निरसित ।

। 1989 के अधिनियम सं० 21 की धारा 5 द्वारा "3. नगर समितियां ।" प्रविष्टि का लोप किया गया ।

² मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयों पर विधि अनूकूलन) आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-11-1973 से) "मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1996 के अधिनियम सं० 29 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 1 से 5 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^4}$ 1969 के अधिनियम सं० 46 की धारा 5 द्वारा (7-1-1970 से) पंजाब संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया ।

 $^{^{5}}$ 2010 के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा (तारीख अभी अधिसूचित की जानी है) अंतःस्थापित ।

⁶ 1996 के अधिनियम सं० 29 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 1 से 6 तक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

^{7 1989} के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा (1-8-1989 से) "पश्चिमी बंगाल" शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

⁸ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "मैसूर" शीर्षक और उसकी बाबत प्रविष्टियों का लोप किया गया ।